THE NATIONAL JOURNAL OF JANJATI AFFAIRS

वन बन्धु

VAN BANDHU

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library has been created with the approval and personal blessings of Sri Satguru Uday Singh Ji. You can easily access the wealth of teaching, learning and research materials on Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library online, which until now have only been available to a handful of scholars and researchers.

This new Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library allows school children, students, researchers and armchair scholars anywhere in the world at any time to study and learn from the original documents.

As well as opening access to our historical pieces of world heritage, digitisation ensures the long-term protection and conservation of these fragile treasures. This is a significant milestone in the development of the Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library, but it is just a first step on a long road.

Please join with us in this remarkable transformation of the Library. You can share your books, magazines, pamphlets, photos, music, videos etc. This will ensure they are preserved for generations to come. Each item will be fully acknowledged.

To continue this work, we need your help

Your generous contribution and help will ensure that an ever-growing number of the Library's collections are conserved and digitised, and are made available to students, scholars, and readers the world over. The Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library collection is growing day by day and some rare and priceless books/magazines/manuscripts and other items have already been digitised.

We would like to thank all the contributors who have kindly provided items from their collections. This is appreciated by us now and many readers in the future.

Contact Details

For further information - please contact

Email: NamdhariElibrary@gmail.com

email : shrigowrakshni@yahoo.in
: gowshala@ymail.com

प्राचीन गऊशाला

कार्यालय : 2700129, 2742129

श्री गौ रक्षणी सभा (रजि:) लुधियाना

गऊशाला रोड, लुधियाना

SHRI GOW RAKSHNI SABHA (REGD.)

GOWSHALA ROAD, LUDHIANA

Chairman :
Vijay Kumar Chopra
Phone : 0181-2280100 to 14

President :
Rakesh Bharti Mittal
Phone : 0161-4611111, 4611112

General Secretary :
Sham Lal Sapra
Phone : 0161-2700392
0161-2730370

कमाक न :.........................

तिथि 22-1-2018

ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ,
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।

ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ।

ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮੂਚਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਜਦਾਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ ਜੀ, ਅਸੀ ਮਾਲਕ ਪਾਸ ਅਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਪਸ਼ੂ-ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਸਾਡੇ ਅਤਿਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਤਨ-ਮਨ-ਧੰਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪਾਰਟ-2, ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਿਤੀ 3 ਫਰਵਰੀ 2018 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੜੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਲਈ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਹਿਤ ਪਧਾਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ।

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ/ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

ਮੈਨੇਜਰ
ਗਊ ਰਕਸ਼ਣੀ ਸਭਾ (ਰਜਿ:)
9815503085

|| श्री राधे कृष्णा ||

श्री गौ रक्षणी सभा (रजि:) लुधियाना द्वारा

प्राचीन गऊशाला भाग-II

(टिब्बा रोड) का

उद्घाटन समारोह

शनिवार 3 फरवरी 2018 को

किया जा रहा है, आप सब इस शुभ अवसर पर
परिवार सहित आमंत्रित हैं।

हवन	उद्घाटन	भण्डारा
सुबह 9 से 10 बजे तक	सुबह 11 बजे	दोपहर 12 बजे

चेयरमैन
विजय कुमार चोपड़ा

प्रधान
राकेश भारती मित्तल

प्राचीन गऊशाला भाग-II, टिब्बा रोड

श्री गौ रक्षणी सभा (रजि:) लुधियाना

सर्म्पक सूत्र : : 0161-2742129, 4062129, 98155-03085, 99140-35550

GUIDE MAP

cranialsprinters.com
+91-161-2421872 7503 000002

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम

एकलव्य खेल-कूद केन्द्र

तीरंदाजी, कबड्डी, खो-खो, दौड़ आदि में युवावर्ग काफी रूची रखते हैं। युवाओं की इस रुचि को ध्यान में रखकर हर वर्ष तीरंदाजी एवं अन्य प्रतियोगिताएँ ग्राम, प्रखण्ड, जिला एवं प्रांत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ली जा रही हैं। कल्याण आश्रम के प्रयास से कई युवाओं ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई हैं। वनवासी बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित कर अपने समाज तथा देश का गौरव बढ़ाना ही वनवासी कल्याण आश्रम का मुख्य उद्देश्य है।

नगरीय संगठन

नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले समाज को वनवासी समाज से जोड़ने के लिए नगरवासी-वनवासी, हम सब भारतवासी का समरसता भाव निर्माण करने हेतु संगठन कार्य किया जा रहा है। नगर की पुरुष-महिलायें वनवासी गाँवों में जाकर एवं प्रत्यक्ष उनको देखकर, हमारे सेवा प्रकल्पों से प्रेरणा लेकर इस राष्ट्रीय कार्य में सहभागी हो रहे हैं। वनयात्रा, रक्षाबंधन जैसे कार्यक्रमों से नगरवासी वनवासियों के साथ समरस हो रहे हैं।

२५ दिसम्बर को वनवासी कल्याण आश्रम का स्थापना दिवस बठिंडा, पंजाब में मनाया गया।

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम

कार्यवृत

विषय	संख्या
शिक्षा माध्यमिक शाला, उच्च मा. शाला, प्राथमिक शाला, पूर्व प्राथमिक शाला, एकल विद्यालय, बालवाड़ी / विद्यामंदिर बाल संस्कार केन्द्र (दैनिक / साप्ताहिक) रात्रि शाला, निःशुल्क अभ्यासिका, पुस्तकालय, वाचनालय।	4562
छात्रावास	224
छात्र संख्या	7873
आर्थिक विकास कृषि प्रकल्प, उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, स्वयं सहायता समूह, ग्रामविकास केन्द्र	2938

विषय	संख्या
आरोग्य प्रकल्प दैनिक केन्द्र / साप्ताहिक केन्द्र आरोग्य रक्षक, अस्पताल	4015
आरोग्य शिविर	646
खेलकूद प्रकल्प	2317
श्रद्धाजागरण केन्द्र	5170
लोक कला	560
ग्राम समिति	13,151

प्रकल्प संख्या 19,226 प्रकल्प स्थान 13,291

उद्धेश्य एवं लक्ष्य

- वनवासी समाज का सर्वांगीण विकास।
- शिक्षा की प्राथमिक सुविधाओं को वनवासी ग्राम-ग्राम तक पहुँचाना।
- चिकित्सा की मूलभूत आवश्यकताओं को वनवासी तक ले जाना।
- स्वधर्म एवं स्वसंस्कृति का संरक्षण।
- लोककलाओं एवं परम्पराओं का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए सामाजिक समरसता तथा राष्ट्रीय एकात्मता का भाव सुदृढ़ करना।
- वनवासी क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों द्वारा रोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से आर्थिक विकास करना।
- भारत की जनजातियों से सम्पर्क करते हुए उनमें कार्य का विस्तार करना।

आप सहायता इस प्रकार करें

	प्रकल्प	वार्षिक सहायता राशि
१.	छात्रावास के एक छात्र पर व्यय	१२,०००.००
२.	एक एकल विद्यालय पर व्यय (३० बच्चों का अनौपचारिक शिक्षा)	१२,०००.००
३.	एक प्राथमिक विद्यालय (१५० विद्यार्थी) पर व्यय	५१,०००.००
४.	एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर पर व्यय (३००-४०० रोगी)	१२,०००.००
५.	एक ग्राम आरोग्य केन्द्र हेतु दवा पर व्यय	१५,०००.००
६.	एक खेलकूद केन्द्र पर व्यय	५,१००.००
७.	एक जलाशय (तालाब) ५०'X४०'X१०' के निर्माण में व्यय	३१,०००.००
८.	एक ग्राम का सर्वांगीण विकास (पाँच वर्ष तक) वार्षिक व्यय	१,००,०००.००

चैक / ड्राफ्ट अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के नाम पर दे सकते हैं।
धन राशि HDFC BANK के खाता नं. 13881930001201 में जमा करवायें।

तू मैं एक रक्त

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, पंजाब

706, सैक्टर 33, चण्डीगढ़ रोड, लुधियाना - 10
दूरभाष : 97816-82142 प्रान्त महामंत्री : 94172-15850
प्रान्त अध्यक्ष : 9876174693

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम

तू मैं एक रक्त

कल्याण आश्रम

ऊँची पर्वत चोटियों, गहरी खाई वाली चोटियों और बीहड़ जंगलों में रहने वाले वनवासी बन्धु अनादिकाल से ही अपनी इस पुण्य भूमि को सुगन्धित करते आये हैं। श्रीराम को नदी पार कराने वाले केवट, निषादराज, माता शबरी, जटायु, वीर हनुमान, नल नील सभी वनवासी थे। भीम हिडिम्बा पुत्र महा पराक्रमी योद्धा घटोत्कच ने स्वयं बली देकर अर्जुन को बचाया और धर्म की रक्षा की।

मुगल काल में अनेकों लड़ाईयों में पुंजा भील शिवाजी के सहयोगी मावले, रानी दुर्गावती जैसे अनेकों वनवासी वीरों ने देश व धर्म की रक्षा के लिये अपने प्राणों की आहुति दी। वनवासीयों का अतीत गौरवशाली रहा हैं। भारत के अतीत को उज्ज्वल करने वाले प्रकाशदीपों को नमन करना हमारा कर्तव्य हैं।

गत 40 वर्षों के अन्तराल में झारखण्ड के 26 जिलों में 27 जनजातियों के बीच हमारा कार्य चल रहा हैं। सभी जिलों एवं नगरों में समितियाँ हैं। सभी समितियाँ "नगरवासी-वनवासी हम सब भारतवासी" इसी भाव से कार्य में लगे हुए हैं। वनवासी सेवा राष्ट्र सेवा हैं, इसी अवधारणा के साथ सैंकड़ों पूर्णकालीन कार्यकर्ता इस कार्य में निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं।

झारखंड को सहयोग

पंजाब प्रांत ने झारखंड को आर्थिक सहयोग करने का दायित्व लिया हैं। हर वर्ष झारखंड प्रांत को सहयोग राशि भेजी जाती हैं। वहाँ के 26 वनवासी जिलों में कल्याण आश्रम सेवा व सम्पर्क का काम चल रहा हैं। इन्हे चलाने व विस्तार के लिये आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हैं।

शिक्षा

एकल विद्यालय

'शिक्षा आपके द्वार' के भाव से वनवासी बच्चों को संस्कारयुक्त प्राथमिक शिक्षा देने के उद्देश्य से एकल विद्यालय की परिकल्पना एवं स्थापना वनवासी कल्यान केन्द्र द्वारा 1986 ई. में झारखण्ड में की गई, जो आगे चलकर भारत सरकार के "सर्व शिक्षा अभियान" का प्रेरक बना। एक स्थानीय ग्रामीण आचार्य 30-35 बालक-बालिकाओं को सुविधानुसार अनौपचारिक पद्धति से 3 घंटा शिक्षा प्रदान करते हैं। विगत् 28 वर्षों में लगभग 5000 गाँव के डेढ़ लाख बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने में संस्था सफल रही है।

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम

तू मैं एक रक्त

छात्रावास

गुमला में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए शबरी कन्या आश्रम और वाल्मीकि आश्रम तथा चक्रधरपुर में एक बालक छात्रावास स्थापित हैं। संथाल परगना क्षेत्र में विद्यासागर और तलवा (पाकुड़िया) में एक-एक बालक छात्रावास सहित 3 बालिका, 14 बालक कुल 17 छात्रावासों में 925 छात्र-छात्रा नियमित दिनचर्या, अनुशासन देशभक्ति का पाठ ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकल्प के माध्यम से प्रांत स्तर पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, जन प्रतिनिधि भी निकले हैं।

आरोग्य योजना

आरोग्य योजना (चिकित्सा सेवा)

सेवा ग्राम

संस्था के चिकित्सक प्रत्येक दिन आधा दिन केन्द्र में तथा बाद में, आसपास के गाँवों में मरीजों का प्राथमिक उपचार करते हैं। इन ग्रामों को सेवा-ग्राम कहा जाता हैं। वर्तमान में 20 चिकित्सा केन्द्र और 150 आरोग्य सेवा ग्राम चलायें जा रहे हैं। लोहरदगा में बिरसा नेत्रालय के माध्यम से वर्ष में लगभग 500 मरीजों के नेत्रों का ऑपरेशन किया जाता हैं।

नि:शुल्क चिकित्सा शिविर

राँची, बोकारो, धनबाद तथा जमशेदपुर महानगर की नगर की समितियाँ अनुभवी एवं सेवाभावी चिकित्सकों का सहयोग लेकर नगरों से 40-50 कि.मी. दूर ग्रामों में प्रत्येक माह चिकित्सा शिविर लगाती हैं। प्रत्येक शिविर में लगभग 400-500 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं नि:शुल्क दवा देकर इलाज करते हैं। इस शिविर के माध्यम से 'तू मैं एक रक्त' की भावना को बल दिया जाता हैं।

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम

आर्थिक स्वावलंबन

सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र

शबरी आश्रम, गुमला और महिला उद्योग केन्द्र, लोहरदगा में विगत् 15 वर्षों से वनवासी युवतियों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे महिलाएँ स्वावलम्बी होती जा रही हैं।

स्वयं सहायता समूह :

एक ही गाँव / टोला से 10 से 15 महिलाओं का समूह बनाया जाता है तथा समूह के माध्यम से पैसे बचत करने की आदत डाली जाती है। आर्थिक स्वावलंबन हेतु यह योजना महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। इस समय प्रदेश में 700 समूहों का निर्माण किया जा चुका है। यह प्रकल्प महिला सशक्तिकरण का जीवंत प्रयोग है।

ग्राम विकास योजना

वनवासी गाँवों में शिक्षा, खेल, सत्संग, संस्कार और स्वावलंबन के विभिन्न प्रकल्प चलाने से गाँव में परिवर्तन दिख रहा है। गुमला जिले के रायडीह प्रखण्ड के हरिणाछापर तथा लोहरदगा जिले के पतगच्छा जैसे अनेक गाँव इसके उदाहरण हैं।

ग्राम समूहों को भी विकसित करने की योजना बन रही है, ताकि गाँव का समग्र विकास हो सके।

THE NATIONAL JOURNAL OF JANJATI AFFAIRS

वन बन्धु
VAN BANDHU

रू.10/-

वनवासी कल्याण आश्रम, दिल्ली द्वारा प्रकाशित

वर्ष : 42, अंक 3, अगस्त 2017, श्रावण-भाद्रपद वि.सं. 2074

1 + 1 = 2 ☑
यह सच है
1 + 1 = 11 ☑
यह भी सच है

पर्यावरण संतुलन के लिये पौधारोपण बहुत जरूरी - डॉ. हर्षवर्धन

केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा की पौधारोपण ईश्वरी कार्य है। हम सभी को पौधों का परिवार के सदस्य के भांती संरक्षण करना चाहिए। दिल्ली के अशोक विहार के पौधारोपण की अगुवाई करते हुए उन्होंने कहा की प्राकृतिक असंतुलन रोकने के लिए आज बहुत जरूरी है की अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं और उनकी देखभाल भी पूरे मन से कि जाए। पेड़ों का हमारे जीवन में एक अहम स्थान है। यह वातावरण को शुद्ध करने में सहायता प्रदान तो करते ही हैं, साथ में हमें जीवनदायी ऑक्सीजन सहित फल, फूल, छाया, शीतलता भी देते है।

डॉ. हर्षवर्धन ने कहा की पर्यावरण मंत्री बनने के बाद उनको देश में कई स्थानों पर वृक्षारोपण करने का अवसर प्राप्त हुआ मगर बरसात में भिगते हुए पौधो लगाने में जो आनंद यहां मिला उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। बरसात भी पौधों की देने है। जितनी ज्यादा हरियाली होती है उतनी अच्छी बरसात भी होती है।

आधार : दैनिक जागरण (दिल्ली), 22 जुलाई 2017

यह लड़का भी
यही कह रहा है

वृक्ष देवो भव !

The National Journal Of Janjati Affairs

वन बन्धु VAN BANDHU

Year-42 | No. 3 | August 2017 | Shravan-Bhadrapad | Vikram Samvat-2074 | Yugabd-5119
वर्ष-42 | अंक 3 | अगस्त, 2017 | श्रावण-भाद्रपद | विक्रम सम्वत्-2074 | युगाब्द-5119

Visit us : www.vanbandhu.com

अंतरंग

कथाचक्र : जहाँ समस्या है, समाधन भी है। 4
सुभाषित सुधा 4
Editorial : Forest Development Corporations (FDCs) 5
Vanvasis Save 100-Years Old Sandalwood Tree 6
अतिथि लेख : सरकारी अकादमियों की दुर्गति *-शंकर शरण* 7
आवरण कथा : एक और एक ग्यारह - यह भी सच है। *-आनंद* 9
■ ग्राम विकास 11
प्रासंगिक : समाजहित में विचार करें *-लक्ष्मण राज सिंह मरकाम* (IES) 12
■ ILO में भारत का आधिकारिक पक्ष *-दिलमन मिंज (बिलासपुर हाईकोर्ट)* 15
■ चीन से युद्ध प्रत्येक देशभक्त बनें सैनिक 16
समाचार : ■ भारत पुन. बन सकता है सोने की चिड़िया 18
■ एकलव्य वानवासी आश्रम में छात्र प्रवेश उत्सव 19
■ ...कालदर गाँव को मिला सामूहिक वनाधिकार 19
■ वर्धा के कार्यकर्ताओं की पुलिस अधिकारी से भेंट 20
■ असम में बाढ़ पीड़ितों के बीच कल्याण आश्रम का सेवाकार्य 20
■ Improve Conditions in 100 Most Backward Districts PM...—*S. K. Kaul* 21
■ Don't want to return to Manipur : Irom Sharmila..—*Special Correspondent* 22
■ Self-government in Tribal villages of Jharkhand.. —*P.D. Gulati* 23
■ Should tribal hunts be allowed? —*Rajat Ghai* 26
■ 55 yrs after China war, Arunachalis may be paid for land Army acquired 29
■ VANASUMA award conferred on Padma Shri Sukri Bommu Gowda... 30
■ Tamil Nadu tribals return to 'cave' life 31
■ Felicitation of Smt. Achamma in Delhi 32
■ Plenary Sessions: Rights of Indigenous Peoples—*Y.K. Sabarbal, CJI* 33
■ Training programme to sportsmen in Hyderabad (Telengana) 37
सर्वे सन्तु निरामया : पानी में हल्दी मिलाकर पीने से होते है यह 7 फायदे 38
■ रक्तदाता फेरेंगा नारजारी और बिपुल चकमा का अभिनन्दन 38

Alphabet 'O' stands for
'OPPORTUNITY',
which is absent in
YESTERDAY,
available once in **T'O'DAY**
and thrice in
T'O'M'O'RR'O'W.
Never lose **HOPE...**

Editor : S. K. Kaul

SUBSCRIPTION RATE:

For 10 years	Rs. 1000/-
Annual	Rs. 100/-
Single Copy	Rs. 10/-

Money Order
Demand Draft may be
sent in favour of
"VAN BANDHU"
M-31, Malka Ganj, Delhi-7
Phone: 011-23855292
E-mail:
vanpramod2000@gmail.com
edvanbandhu@gmail.com

प्रतिनिधि : • A.K. Shreedharan, Meghalaya • Sanjit Pal, Tripura • Veenak Hosakote, Karnataka • Parmala, Bhagyanagar, (Hyderabad) Telangana • Gyati Rana, Naharigun, Arunachal Pradesh • S. Dharma Rao, Port Blair, Andaman & Nikobar Islands • श्रीमती मेघा जोशी, देवगिरी/महाराष्ट्र • श्री काशिनाथ गावडे, गोवा • आनंद स्वरूप, लुधियाना, पंजाब • नीरज आहूजा, जबलपुर, महाकौशल • अवनीश कुमार गुप्ता, सिलवासा दा.न.ह.

Published by Surender Kumar Gupta, Publisher & Printer, on behalf of Vanvasi Kalyan Ashram, M-31, Malka Ganj, Delhi-110007 Ph. 23855292 and Printed at S.P Printers, New Chandrawal, Jawahar Nagar, Delhi-110 007, Ph.: 011-23858703, Editor: S. K. Kaul

कथा चक्र

जहाँ समस्या है, समाधान भी है।

एक बादशाह अपने कुत्ते के साथ नाव में यात्रा कर रहा था। उस नाव में अन्य यात्रियों के साथ एक दार्शनिक भी था।

कुत्ते ने कभी नौका में सफर नहीं किया था, इसलिए वह अपने को सहज महसूस नहीं कर पा रहा था।

वह उछल-कूद कर रहा था और किसी को चैन से नहीं बैठने दे रहा था।

मल्लाह उसकी उछल-कूद से परेशान था कि ऐसी स्थिति में यात्रियों की हड़बड़ाहट से नाव डूब जाएगी।

वह भी डूबेगा और दूसरों को भी ले डूबेगा।

परन्तु कुत्ता अपने स्वभाव के कारण उछल-कूद में लगा था।

ऐसी स्थिति देखकर बादशाह भी गुस्से में था।

पर, कुत्ते को सुधारने का कोई उपाय उन्हें समझ में नहीं आ रहा था।

नाव में बैठे दार्शनिक से रहा नहीं गया।

वह बादशाह के पास गया और बोला - 'सरकार! अगर आप इजाजत दें तो मैं इस कुत्ते को भीगी बिल्ली बना सकता हूँ।'

बादशाह ने तत्काल अनुमति दे दी। दार्शनिक ने दो यात्रियों का सहारा लिया और उस कुत्ते को नाव से उठाकर नदी में फेंक दिया। कुत्ता तैरता हुआ नाव के खूंटे को पकड़ने लगा।

उसको अब अपनी जान के लाले पड़ रहे थे। कुछ देर बाद दार्शनिक ने उसे खींचकर नाव में चढ़ा लिया। वह कुत्ता चुपके से जाकर एक कोने में बैठ गया।

नाव के यात्रियों के साथ बादशाह को भी उस कुत्ते के बदले व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ।

बादशाह ने दार्शनिक से पूछा - 'यह पहले तो उछल-कूद और हरकतें कर रहा था, अब देखो कैसे यह पालतू बकरी की तरह बैठा है?'

दार्शनिक बोला -

'खुद तकलीफ का स्वाद चखे बिना किसी को दूसरे की विपत्ति का अहसास नहीं होता है।

इस कुत्ते को जब मैंने पानी में फेंक दिया तो इसे पानी की ताकत और नाव की उपयोगिता समझ में आ गयी।'

माँ सरस्वती प्रगट हुई

एक मूर्तिकार को जब पूछा की माँ सरस्वती की इतनी सुंदर मूर्ति आपने कैसे बनाई ?

उसने कहा, 'मैं पत्थर को तराशते गया, पत्थर में से अनावश्यक हिस्सा दूर करता रहा, उसमें से अपने आप देवी सरस्वती प्रगट हुई।'

क्या हम भी अपने जीवन से अनावश्यक बातों को दूर कर सकते हैं? अपने आप जीवन निखर जाएगा।

सुभाषित सुधा

य: स्वपक्षं परित्यज्य परपक्षं निषेवते ।
स स्वपक्षे क्षयं याते पश्चात् तैरेव हन्यते ।।

जो अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष के लोगों का सेवन करता है, वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर फिर उन्हीं के द्वारा मार डाला जाता है।

Forest Development Corporations (FDCs)

At the time of Independence land revenue from agricultural land was one of the main sources of income of state governments. But over a period of time, the states exempted a large number of land owners from payment of land revenue. "The National Forest Policy of 1982, which being a continuation of the colonial legacy, emphasized the need for sustained supply of timber" and the "need for realization of maximum annual revenue" from forests. The state forest departments cut down natural, diverse and healthy forests and replaced them with plantation of teak and eucalyptus. Between 1970 and 1987, teak and eucalyptus were raised as monoculture plantations. A study released in 1990 by the MOEFCC says that "extensive felling and harvesting of industrial crops two to three rotations result in depletion of soil quality and low humus content."

Economic Viability

In 1972, the National Commission on Agriculture had recommended the establishment of FDCs and said that "each hectare of forest land should be in a position to yield a net income many times more than what was being obtained." But this has not happened. As of March 2016, there are 19 FDCs engaged in timber-related operations. Of these, 11 FDCs have 1.28 million hectares (ha) of forests in their possession, which has been utilized for raising industrial as well as cash crop plantations; and about 1 million ha has been brought under plantation by FDCs. Between 2011 and 2015, the average per hectare annual turnover from the FDC lands, utilized for commercial plantation was Rs. 4534. This is quite low by all standards. Farm forestry and agro-forestry, which serve the same key objective as FDCs of supplying wood to wood-based industries, provide much higher returns. Cash crops as well as agricultural crops give better economic benefits than FDCs. In Gujarat, the farmers earned on an average Rs.1.14 lakh/ha/year from eucalyptus while the revenue to the State FDC is Rs. 50,000/ha/year from the same species. On the one hand, FDCs have replaced healthy forests with commercial

plantations, on the other hand, they have done little to make degraded forests productive.

At odds with Forest Dwellers

Another key objective of FDCs was to give "substantial support to the economy of backward areas" and "tribal which depends on growth of forestry activities". In 1990, a review of FDCs by MOEFCC noted that "conscientious efforts exclusively for weaker, landless rural population or tribals "have not been undertaken. Sadly, not much has changed since 1990.

Though FDCs provide employment opportunities to local communities as wage labourers, and some FDCs even have mechanisms to share benefits, no study has been made to find out whether the benefits are actually reaching the targeted population. "Take the example of Gujarat FDC, which is required to share 100 per cent of the profits from the sale of minor forest produce in tribal areas with the gram panchayats. From 2008 to 2015, the Corporation should have paid nearly Rs. 34 crores, but this has not happened. The Gujarat FDC officials say the decision is pending with the state government for the past 8 years.

Reforms need of the hour

FDCs contribute less than 5% of India's total wood production. Given the resentment of communities against the conversion of natural forests into plantations, MOEFCC should introduce a mandatory social and environmental impact assessment system before transferring forest land to FDCs. The focus of FDCs needs to shift to making degraded forests productive. FDCs must not violate the rights granted to tribals by the Forest Rights Act of 2006.

—S. K. Kaul

Vanvasis Save 100-Year Old Sandalwood Tree

The villagers of Kovilur in Javadhu Hills (Tiruvannamalai district) have been protecting a century-old sandalwood tree for generations now. For the villagers the tree is a symbol of pride of their ancestors. The villagers are a virtual 'human shield' against smugglers for the oldest and biggest sandalwood tree of the hills spread over 3,150 sq. km. The tribals had put their lives at risk and helped the Forest Department on several occasions to keep the sandalwood tree mafias at bay, said forest officials.

They have been resisting the smugglers for nearly a century now. They have also been safeguarding another 30-year old tree in the village.

Courtesy : VSK, Chennai

A human chain to save 100-year old tree at Pune.

सरकारी अकादमियों की दुर्गति

शंकर शरण

समाचार है कि कई सरकारी अकादमिक संस्थाओं, परिषदों का पुनर्गठन करने पर विचार हो रहा है। इस में एक जैसी अनेक संस्थाओं का एकीकरण अथवा उन्हें किसी अन्य संस्था के अधीन करने जैसे प्रस्ताव हैं। इस का उद्देश्य यदि केवल संस्थाओं की संख्या कम करना या कुछ खर्च बचाना भर हो, तो यह काफी नहीं है। वस्तुत: सरकार को कई अनावश्यक क्षेत्रों से मुक्त कर देने पर भी विचार होना चाहिए। इस में विविध उन्नत देशों के उदाहरणों से भी तुलना करनी चाहिए। हानि-लाभ का विचार भी महज आर्थिक नहीं, बल्कि कार्यगत, लक्ष्यगत तथ्यों को सामने रखकर करना चाहिए।

वैसे भी, चिंतन-मनन और शिक्षा-संस्कृति विशुद्ध रूप से समाज का क्षेत्र है, सरकार का नहीं। यही आज अधिकांश पश्चिमी लोकतंत्रों में भी है। सब कुछ सरकार करेगी, विशेषकर शिक्षा और वैचारिकता सरकार निर्देशित करेगी, यह सिद्धांत केवल कम्युनिस्ट, समाजवादी देशों में था। उसी परिपाटी को स्वतंत्र भारत में अपनाया गया, क्योंकि तब समा. जवाद के प्रति एक भारी व्यामोह था। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री नेहरू जी स्वयं मार्क्सवादी-समाजवादी थे और प्राय: सोवियत संघ का गुणगान किया करते थे।

इसीलिए यहाँ भी सब कुछ सरकार द्वारा और उस के निर्देशन में करने का दावा शुरू हुआ था। इस परंपरा ने हमारी शिक्षा, विशेषकर सामाजिक, मानविकी विषयों की शिक्षा, चिंतन और शोध को गर्त में ले जाने में जबरदस्त भूमिका निभाई। सोवियत मॉडल पर देश भर में असंख्य सामाजिक शोध संस्थान और योजनाएं बनाई गईं, जो जल्द ही पार्टीबंदी, परिष्ट नारेबाजी और राजनीतिक विचारधाराओं के प्रचार का साधन बन कर रह गईं। सभी पार्टियों ने वही मॉडल अपना लिया, क्योंकि पार्टी-हित और निजी हित साधन के लिए सरकारी संस्थाएँ दुधारू गाय बनाई जा चुकी थीं।

अत: जैसे आर्थिक क्षेत्र में विनिवेशीकरण हुआ, उसी तरह शिक्षा क्षेत्र में सरकार और राजनीतिक दलों को धीरे-धीरे बाहर किए बिना हमारी सदगति नहीं दिखती। शिक्षा नीति से लेकर विविध सामाजिक, भाषा-साहित्य विषयों की शिक्षा, पाठ्य-पुस्तकें, प्रकाशन, शोध-दिशा, विचार-विमर्श, सेमिनार, सब जगह पार्टी-लफ्फाजी खत्म कर गुणवत्ता की पुर्नस्थापना इस मूल बिन्दु से जुड़ी है।

कई मामलों में स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, कि स्वयं सरकारी कर्णधार बेबस नजर आते हैं। उन के अधीन हजारों अमले हैं, सैकड़ों संस्थान हैं, जिन्हें वे सालाना अरबों रुपए आवंटित करते हैं। मगर उस की उपलब्धि क्या है, यह देखने-जाँचने का अब उन में हौसला नहीं रह गया है। इस का एक बड़ा कारण वह विशाल आकार है जिस में यह बर्बादी और निरर्थकता फैलती गई है।

विवशता में सभी मानो सामूहिक रूप से एक नाटक कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक, कथित रूप से काम तय करने वालों से लेकर उसे पूरा करने वाले, उस की देख-रेख, मूल्यांकन करने वाले, शाबाशी देने और पीठ थपथपाने वाले, लगभग सभी रटी-रटाई बातें बोलते हैं। चूँकि संसद, विधान सभाओं में नेतागण वैसे भी अधिकांश इन विषयों में योग्यता नहीं रखते, इसलिए वहाँ भी इस मानो स्वचालित, नकली, धन-बर्बादी प्रक्रिया को रोकने वाला कोई नहीं।

उदाहरणार्थ, यह तो बहुत लोग बोलते हैं कि अधिकांश सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कमजोर है, पर उसे सुधारने के नाम पर फिर कोई

योजनाएँ घोषित कर देना, फिर नये विभाग आदि बना देना, और उस पर अरबों रुपए बहा देना, फिर स्वयं ही प्रचार कर अपनी पीठ थपथपा लेना, प्राय: यही होता है। सही मूल्यांकन या आलोचनाएं एक तो आती नहीं, क्योंकि अधिकांश दल और संबंधित बुद्धिजीवी दलबंदी-ग्रस्त वैसे ही लोग हैं। जिन्हें किसी तरह सत्ता में आने और संस्थाओं पर काबिज होने के सिवा कोई बुनियादी दिलचस्पी नहीं रहती।

इसलिए उद्देश्य-गत विफलताओं की कभी चर्चा ही नहीं होती! मानो उस में सब कुछ ठीक है। चूँकि अधिकांश नेतागण किसी दार्शनिक, विवेक बोध से पैदल हैं, इसीलिए वे सरकारी नौकरों की तरह, उन के द्वारा ही थमाई गई, बनी-बनाई लीक पीटने के सिवा कुछ सोच नहीं पाते। अत: बिलकुल हानिकारक बातें भी शिक्षा के उद्देश्य और पाठ के रूप में दशकों चलती रहती हैं।

इस प्रकार, विराट पैमाने पर एक नकली गतिविधि ही सरकारी क्षेत्र में शिक्षा, उच्च-शिक्षा और शोध का मुख्य अंग बन गई है। सभी सरकारी अकादमियों, संस्थानों में केवल पैसा खर्चना ही आदि और अंत रह गया है। पैसा खर्च, यानी काम हुआ! इस नकली पैमाने से उपलब्धियाँ प्रचारित करने में भी उदारता पूर्वक पैसा खर्च किया जाता है। इसलिए जोर-जोर से यह भी कहना, सुनना चलता रहता है कि उपलब्धियाँ बढ़ रही है। इतने शोध हुए, इतने पर्चे पढ़े गए, प्रकाशित हुए, आदि। उन में क्या है, कुछ है भी या नहीं, यह देखा नहीं जाता।

यह हू-ब-हू समाजवादी मॉडल की आत्मप्रवंचना है। इसे सरलता से परखा जा सकता है, पर दुर्भाग्य से कई क्षेत्रों में यहाँ प्रतिभाओं का अकाल भी पड़ चुका है। शिक्षा, विशेषकर सामाजिक, मानविकी शिक्षा और शैक्षिक पत्रकारिता भी इस के शिकार हैं। नीति-दस्तावेज, पाठ्य-पुस्तकें, संस्थानों के घोषित मूल उद्देश्य और वास्तव में हुए या हो रहे कामों को मिलाकर, शायद ही कभी, किसी ने देखा है। सब जगह, संक्षेप में, रेडीमेड मिल गई जैसी-तैसी रिपोर्टों, उन के भी संक्षिप्त रूपों, उन से बने समाचारों, आदि के आधार पर ही लिखने, बोलने, काम पूरा करने का विचारहीन रवैया प्रचलित है।

सरकारी अकादमियों की आलोचना या प्रशंसा, वह भी इसी ढर्रेबाजी और अकर्मण्यता की शिकार हैं। तब कोई सुधार हो तो कैसे? संपूर्ण स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन हो तो दिखेगा कि कई क्षेत्रों में सरकार की भारी-भरकम संस्थाएं उस क्षेत्र का काम करने से अधिक उस के सहज विकास में बाधक बनी हुई हैं। निहित स्वार्थों, अकर्मण्य तत्वों और निर्विकार नौकरशाही का भारी जमावड़ा ही अधिकांश संस्थाओं की पहचान है। बल्कि इसी रूप में उस का आकर्षण भी है कि बिना खास जिम्मेदारी का बोझ उठाए विविध प्रकार की सुख-सुविधाएं उठाई जा सकती हैं।

अत: कम से कम सामाजिक, मानविकी एवं भाषा की उच्च शिक्षा इन विषयों में शोध, पुस्तक प्रकाशन, तथा राष्ट्रीय वितरण के लिए इन विषयों में पुस्तकों की थोक खरीद और सांस्कृतिक गतिविधियों के संपूर्ण क्षेत्र से सरकार का बाहर हो जाना ही अच्छा है। यह संपूर्ण क्षेत्र समाज की अपनी रचनात्मकता एवं चिन्ता का है, जिसे समाज को ही उठाना होगा अन्यथा यह सदैव राजनीतिग्रस्त, गुणवत्ताहीन, इस प्रकार निरर्थक बना रहेगा। इस पर जनता के टैक्स का अरबों रुपया प्रतिवर्ष बर्बाद होता रहेगा, सो अलग।

सामाजिक, मानविकी ज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों के संपूर्ण क्षेत्र से सरकार के पूरी तरह अलग हो जाने के सिवा कोई उपाय नहीं है। इस के अनेक कारण सब के सामने हैं। केवल उन पर ध्यान देने और विचार करने की जरूरत है।

जैसे, सरकारी धन की आजीवन सुरक्षा, जिस में कर्मी की गुणवत्ता कोई आधार नहीं बनता। इस कारण हर प्रकार के मतलबी और गुटबाज लोग उन संस्थाओं, गतिविधियों में एकत्र हो जाते हैं या योग्य लोग भी विविध कारणों से ठंढे, निठल्ले हो जाते हैं। वे अपने ऊपर के अधिकारी या मंत्री को संतुष्ट रखने के सिवा प्राय: किसी जिम्मेदारी से निर्लिप्त रहते हैं। ध्यान दिलाने पर भी मामूली से उचित काम भी नहीं करते इस भाव से कि उस की जरूरत ही क्या है!

फिर, वोट-बैंक और निजी प्रभाव बनाने के चक्कर में नेता लोग सैदव ऐसी संस्थाओं, गतिविधियों का आकार व संख्या बढ़ाते रहते हैं ताकि उन के अपने लोग फिट होते रहें और काम आते रहें। नेताओं को रंच मात्र भी इस की परवाह नहीं रहती कि उन संस्थाओं, कार्यों में जाने वाले धन की उपादेयता या उत्तरदायित्व किस का है?

इस प्रकार, जिन कारणों से एयर इंडिया भारी घाटे में चलती है और उसे सुधारने के लिए अरबों का अतिरिक्त पैकेज भी निष्फल होता है उन्हीं कारणों से सामाजिक, मानविकी, भाषा, साहित्य संबंधी शिक्षा, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान, समितियाँ, परिषदें, आदि उस से भी बुरी हालत में हैं।

एक और एक दो – यह सच है।

एक और एक ग्यारह – यह भी सच है।

– आनंद

वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय परिवेश के अनुरूप उत्सवों का आयोजन करते है। कहीं करमा, तो कहीं बिहु, कहीं दीपपूजा, तो कहीं गणेश उत्सव इत्यादि। संगठन की ओर से अखिल भारतीय स्तर पर दो उत्सव मनाने का संकेत है। एक है 'स्थापना दिन' और दूसरा है 'रक्षाबंधन'। रक्षाबंधन निमित्त कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में जाते है। वनवासी परिवारों से सम्पर्क कर घर के सभी को राखी बांधते हैं। सामाजिक समरसता के रूप में देखेंगे तो यह एक विशेष पहल है।

एक और एक दो, गणितशास्त्र में यह सच है। इससे सरल गिनती और क्या हो सकती है ? कोई भी व्यक्ति इस गिनती से असहमत नहीं हो सकता। परन्तु एक अनूठी गिनती है - एक और एक ग्यारह। विद्वान व्यक्ति इससे असहमत हो सकते हैं परन्तु समाज को जोड़ने का स्नेहशास्त्र कहता है कि एक और एक ग्यारह यह भी सच है। समाज में किसी एक के साथ दूसरा खड़ा होते ही उन दोनों के एकत्रित होने से केवल दोगुनी शक्ति नहीं परन्तु कई गुना अधिक शक्ति का संचार देखने को मिलता है। एक को दूसरे के साथ न केवल खड़ा करने की अपितु स्नेहसूत्र से बाँधने की कल्पना है रक्षाबंधन।

यह उत्सव आज हम समाज के घर-घर में देखते हैं। भारतीय व्यक्ति चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो इस उत्सव को अपने घर में अवश्य मनाता है। वर्तमान में बहन भाई को रक्षा सूत्र बाँधकर इसे मनाते होंगे। परन्तु मुख्य आशय तो प्रेम व्यक्त करना - यही है। चाहे परिवार धनी हो या निर्धन, नगरीय हो या ग्रामीण, किसी भी जाति विशेष का हो, सभी भेदों से ऊपर उठ कर हम रक्षाबधन को उत्सव के रूप में देखते हैं।

आज हम रक्षाबंधन उत्सव का स्वरूप बहन-भाई के प्रेम के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं, क्या अतीत में भी इसका यही स्वरूप रहा होगा? यदि नहीं तो पहले रक्षाबंधन कैसे मनाते होंगे? आज का यह स्वरूप कैसे आया? समय की आवश्यकता देख इसमें कुछ परिवर्तन की अथवा नई संकल्पना के साथ मनाने की आवश्यकता लगती है? ऐसे कई प्रश्न हैं।

दादी माँ कहती थी कि देव और दानवों के युद्ध में जब राजा इन्द्र स्वयं योद्धा के रूप में युद्ध करने निकले तो उनकी पत्नी इन्द्राणि ने उन्हें रक्षा सूत्र बाँधी थी। प्रेम के प्रतीक समान, इसी रक्षासूत्र ने युद्ध भूमि पर इंद्र को शक्ति प्रदान की। महाभारत काल में अभिमन्यु जब चक्रव्यूह को भेद करने युद्ध पर निकले तो माता कुंती ने (जो उनकी

रक्षाबंधन पर्व पर विशेष लेख

संगठन का अपना एक शास्त्र है। उसके भी कुछ विधि–निषेध है। जिसे समाज का संगठन करना है, उसे इन नियमों से ज्ञात होना चाहिए और उनका पालन भी करना चाहिए। संगठन करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयोग भी करने चाहिए। ऐसा करने के लिए समाज में कुछ नई परम्परा प्रस्थापित करनी आवश्यक है। छोटा सा विचार, छोटी पद्धति आगे चलकर कभी परम्परा का रूप लेती है। इसके लिए साहस के साथ, कभी विरोध सहन करते हुए भी नई परम्परा प्रारम्भ करनी चाहिए।

बहन का भाई को राखी बाँधना इस संकल्पना को यथोचित सम्मान देते हुए, समाज संगठन हेतु आवश्यक हो तो यदि एक नई परम्परा के रूप में भाई, भाई को रक्षा सूत्र बांधें अथवा बहन–बहन को रक्षा बांधें ऐसी नई परम्परा को प्रारम्भ करने से कोई गुरेज नहीं। उसे प्रस्थापित होते थोड़ा समय लगेगा परन्तु उससे समाज संगठन जैसा विधायक उद्देश्य सिद्ध होगा।

वनवासी कल्याण आश्रम का बोध वाक्य है - 'तू मैं एक रक्त'। आपकी और मेरी रगों में एक ही रक्त बह रहा है। परिचय देते समय चाहे हम अलग-अलग परिचय भले ही देते होंगे परन्तु दोनों में भेद नहीं है। रक्षाबंधन इसी बात को उत्सव के रूप में समझाता है। व्यक्ति चाहे नगर में रहता हो या गाँव में, पढ़ा-लिखा हो या अनपढ़, श्रीमंत हो या निर्धन - रक्षा का सूत्र सभी को जोड़ता है। ऊपर-ऊपर दिखने वाले भेदों को दूर कर एकत्व की अनुभूति कराता है।

दादी माँ थी) उन्हें रक्षा सूत्र बांधा था। इंद्राणि और माता कुंती दोनों ने रक्षा बाँधा परन्तु इनमें से एक भी बहन के रूप में नहीं थी। इसका अर्थ यह है कि प्रेम का प्रतीक यह रक्षाबंधन पहले कभी केवल बहन-भाई के रूप में सीमित नहीं था।

तो ऐसा क्या हुआ कि आगे चलकर यह उत्सव बहन-भाई के रूप में परिवार में मनाना शुरु हुआ? विचार करने की आवश्यकता है।

हम जानते हैं कि इस भूमि पर हज़ारों वर्षो तक विदेशियों ने आक्रमण किये। अपने अस्तित्व के लिये भारतीय समाज ने वर्षो तक केवल संघर्ष ही किया। समाज पर जब आक्रमण हो रहे थे, उस समय बहनों को असुरक्षा का अनुभव होने लगा। उन्होंने न केवल अपने सगे भाई को परन्तु समाज के अन्य पुरुषों को भी भाई मान कर रक्षा हेतु स्नेह के प्रतीक समान राखी बाँधी और सुरक्षा की अपेक्षा व्यक्त की। तभी से रक्षाबंधन उत्सव बहन-भाई के प्रेम के प्रतीक समान मनाना शुरु हुआ। समय की आवश्यकता थी तो उत्सव को मनाने की पद्धति में बदलाव हुआ, जो समाज में स्वीकृत भी हुआ। आज इसी उत्सव को सम्पूर्ण समाज को एक सूत्र में बाँधने के आशय से मनाना है, तो रक्षासूत्र एक-दूसरे से बांधकर हम अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं।

प्रेम में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है यह यदि अनुभव करना है तो उस सैनिक को जाकर पूछिए जो सीमा पर खड़ा है और अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा है। उसे यदि कोई जाकर राखी बांधता है तो उसे अवर्णनीय आनंद का अनुभव होता है। सारे देशवासी मेरे पीछे खड़े हैं की भावना उसे प्रतिकूलताओं के बीच शक्ति प्रदान करती है।

देश में वनवासी कल्याण आश्रम की कई नगर समितियाँ कार्यरत है। हज़ारों नगरीय कार्यकर्ता अपने वनवासी बन्धुओं के विकास हेतु अनवरत प्रयास करते हैं। अपने मन की पवित्र भावना के प्रतीक समान वे रक्षाबंधन निमित्त वन क्षेत्र में जाकर रक्षाबंधन मनाते हैं। हज़ारों-लाखों वनवासी परिवारों को गाँव-गाँव में जाकर मिलते हैं और वनवासी प्रेम का अनुभव करते हैं। वहाँ उनका जो स्वागत होता है उसे व्यक्त करने के लिये तो 'अतिथि देवो भव:' यह वर्णन ही उचित होगा। हम कई बार सुनते हैं कि 'नगरवासी - वनवासी हम सब भारतवासी' - इस सुवाक्य का कृति में दर्शन करना है तो वह है - रक्षाबंधन।

एकता इस जीवनमूल्य पर भाषण देना सरल है परन्तु प्रत्यक्ष में कुछ करना है तो रक्षाबंधन जैसे उत्सव निमित्त गाँव में जाना चाहिए, वनवासी कुटिया में जाकर उसके साथ रोटी खानी चाहिए। नि:स्वार्थ प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए अनुभव भी करना चाहिए। एक बार एक महाविद्यालयीन युवकों का एक समूह अपने छात्रावास में आया। सब लोग आते ही बात कर रहे थे की अपने पास समय बहुत कम है। दो घण्टे से अधिक हम यहाँ रुक नहीं सकते। वापस जाते समय अँधेरा हो जाएगा इसलिये जल्दि चलना चाहिए।

फिर शुरू हुआ रक्षाबंधन का उत्सव। छात्रावास के बालकों ने आए हुए सभी को राखी बाँधी। इस अवसर पर सबका मुँह मीठा कराना चाहिए सोच कर हलुवा बनाया। सभी ने साथ मिलकर नृत्य किया, गीत गाए। सारा वातावरण नि:स्वार्थ प्रेम से भर गया। सात-आठ घण्टे हो गए पता ही न चला। थोड़े समय के बाद - अभी तो क्या जल्दी है? यहाँ हम किस लिए आए है? थोड़ा समय रुकें तो क्या फर्क पड़ता है? - ऐसा संवाद सुनने को मिला। इसे कहते है? नि:स्वार्थ प्रेम का चमत्कार।

ग्राम विकास

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के ग्राम विकास आयाम के तहत् इस आयाम से जुड़े कार्यकर्ताओं का एक दो दिवसीय अभ्यास वर्ग बाल्मिकि आश्रम, गुमला में 2-3 जुलाई, 2017 को सम्पन्न हुआ। इस अभ्यास वर्ग में तीन सच के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। गजानन डांगे नंदुरवार, (महाराष्ट्र) से इस अभ्यास वर्ग के लिए पधारे। राघव राणा प्रांतीय ग्राम विकास प्रमुख ने इस अभ्यास वर्ग की प्रस्तावना व ग्राम विकास की आवश्यकता पर विषय प्रस्तुत किया। गजानन डांगे ने उन्नत कृषि, जैविक कृषि, वन-सब्जी, वनाधिकार आदि विषयों पर लोगों को प्रशिक्षित किया। इस अभ्यास वर्ग में कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष कृपा प्रसाद सिंह ने भी भाग लिया व कार्यकर्ताओं को वनौषधि, पर्यावरण की सुरक्षा, जैविक खाद् निर्माण के तरीके जैसा सुहास पालेकर कृषि वैज्ञानिक व आनंद कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात ने विकसित किया है की जानकारी उपस्थित कार्यकर्ताओं को दी।

गजानन डांगे डॉ. हेडगेवार कृषि विज्ञान केन्द्र के सुलझे हुए कार्यकर्ता हैं व पूरे देश में 5 ग्रामों का संच बनाकर, ग्रामीणों के साथ बैठकर उनकी सहमति से विकास का कार्य कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि वनवासी कल्याण आश्रम देशभर में प्रकाश कामत के नेतृत्व में ग्राम विकास का कार्य कर रहा है। इसके तहत् कप निर्माण, तालाब निर्माण, जैविक खाद् निर्माण व प्राकृतिक खेती के प्रयोग चल रहे हैं।

प्रेषक : सत्येन्द्र सिंह, रांची

Dear Readers/Writers,

Please send articles, news, views and features both in Hindi and English, with good quality photos to be published in Van Bandhu. Also we highly solicit your feedback. If you are a regular reader of Van Bandhu, send your comments and suggestions to the editor for betterment of the magazine. Please note the new email Id : vanbandhupramod@gmail.com

—Editor

प्रासंगिक

समाज हित में विचार करें ....

संयुक्त राष्ट्र के मूलनिवासियों के अधिकारों के घोषणापत्र का भारत के सन्दर्भ में तार्किक विश्लेषण

लक्ष्मण राज सिंह मरकाम (IES)

उत्सव मनाना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जनजाति समाज इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को प्रकृति के हर उपहार के साथ मनाता आ रहा है।

नृत्य, गीत, संगीत ये बहुधा जनजाति, समाज के दिनचर्या में रचे बसे है, हम हमेशा ही सद्चितानंद की अवस्था में रहते है। भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के हजारों लाखों जनजाति बंधुआ और भगनियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक घोषणा पत्र दिया गया और उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की गयी और प्रत्येक वर्ष 09 अगस्त को को विश्व ट्राइबल दिवस के नाम से आयोजन होने लगे।

वर्ष 2010 में मुझे ऐसे ही एक कार्यक्रम में जाने के लिए आमंत्रण मिला तो स्वाभाविक तौर पर मैंने इसके बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया इस विषय पर उपलब्ध दस्तावेज एकत्र किये इस दिन को क्यों मनाया जाता है? कि इस प्रशन से शुरू हुई मेरी यात्रा इस दिन को जनजाति समाज को क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए पर खत्म हुई?

मेरा ये निष्कर्ष अचानक नहीं निकला, बल्कि कई देशों की यात्रा के और विश्व इतिहास का अध्ययन करने के बाद मै इस निष्कर्ष पर निकला कि अगर इस दिन पर कुछ मनाया जाये तो केवल शोक सभा अथवा श्रद्धांजलि सभा, उन करोड़ो लोगों जनजाति, देशज भाइयों बहनों और बच्चों के नरसंहार की निंदा के लिए जिनको केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे किसी अन्य रेस से थे, और उनकी प्राकृतिक जीवन पद्धति यूरोपियन रेस के विश्व विजय में सबसे बड़ी बाधक थी आज जो आप विश्व का नक्शा देखते हैं उसमे यूरोपीयन रेस एशिया महाद्वीप को छोड़कर लगभग हर जगह शासन में है। क्या वे फूल मालाएँ लेकर उन देशों में आश्रय पाने गए थे?

संयुक्त राष्ट्र एक वैश्विक संस्था है, मै उस पर टिप्पणी करने का उत्तराधिकारी नहीं हूँ लेकिन एक ट्राइबल जनजाति होने के कारण मेरा कर्तव्य है कि विश्व के जनजाति ट्राइबल समाज के दर्द में कम से कम ढोल ताशे बजाते उत्सव मानते तो शामिल न होऊँ।

(क) संयुक्त राष्ट्र का ट्राइबल अधिकारों हेतु घोषणा पत्र 13 सितम्बर 2007

1—संयुक्त राष्ट्र के लगभग 20 वर्षो के विचार मंथन के बाद, विश्व के समस्त आदिवासी अथवा जनजाति समुदायों की रक्षा के उद्देश्य से एक घोषणा पत्र पारित किया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक 09 अगस्त को अन्तराष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाये जाने की घोषणा हुई। इस दिन को मनाने की सर्वप्रथम घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसम्बर 1994 में की गयी थी 09 अगस्त इस दिन को चुनने के पीछे UN वर्किंग ग्रुप ऑन इंडीजेनियस पापुलेशन की पहली बैठक 09 अगस्त 1992 का दिन है इसलिये उस दिन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाने लगा।

2 —The Declaration on the rights of indigenous people (document A/61/L67) अथवा आदिवासी अधिकारों का घोषणा पत्र को 13 सितम्बर 2007 को, 158 देशों के मतदान द्वारा अंगीकृत किया गया जिनमें से 143 इसके समर्थन मे, 04 इसके विरोध में (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड व अमेरिका) में थे एवं 11 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।

3 — जिन चार देशों ने इस घोषणा पत्र में हस्ताक्षर नहीं किये थे, उनमें से तीन अमेरिका आस्ट्रेलिया तथा कनाडा ने इस पर हस्तक्षार कर संधि को स्वीकार कर लिया है। लेकिन केवल दो शर्तों के साथ कि वे इस पर अमल उनके संवेधानिक उपबंधों के तहत ही करेंगे, और घोषणापत्र के अनुच्छेद 46 के तहत ये घोषणाएं किसी भी प्रकार के वैधानिक उपबंधों हेतु मान्य नहीं हैं।

(ख) ILO विश्व कानून संगठन की ट्राइबल अधिकारों की संधि 169, वर्ष 1989

1 — संयुक्त राष्ट्र के विश्व कानून संगठन के द्वारा, ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ट्राइबल अधिकारों

4 संक्षिप्त में ट्राइबल अधिकारों के घोषणा पत्र के अनुच्छेद एवं भारत के संविधान व संसद द्वारा पारित अधिकार में पहले से उपस्थित अधिकार

अनु.	UN ट्राइबल अधिकारों के घोषणा पत्र के अनुच्छेद	भारत के संविधान में अधिकार
01	अन्तराष्ट्रीय मानव अधिकारों के समान अधिकार	मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35
02	ट्राइबल होने के अधिकारों के कारण किसी भेदभाव से मुक्ति	मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 15 एवं SC & ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कड़े प्रावधान
03	राजनैतिक आत्मनिर्णय का अधिकार आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का अधिकार	अनुच्छेद 322 (संसद से लेकर ग्राम पंचायत तक अनुपातिक प्रतिनिधित्व), PESA VTH, VII SCHEDULE
04	आत्म निर्णय के तहत स्वायत्त सरकार का गठन विदेश वित्तीय सहायता	भारतीय संविधान के तहत अमान्य उपबंध
05	तत्कालीन देश से भिन्न राजनैतिक कानूनी आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान बनाने का अधिकार	भारतीय संविधान के तहत अमान्य उपबंध
06	अपनी एक अलग नागरिकता बनाने का अधिकार	भारतीय संविधान के तहत अमान्य उपबंध
07	शारीरिक सुरक्षा व स्वतंत्रता नरसंहार के विरुद्ध सुरक्षा समूह का अन्य समूह में जबरन मिलान से सुरक्षा	मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 एवं SC & ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कड़े प्रावधान
08	व्यक्ति अथवा समूह की ट्राइबल संस्कृति के जबरन विलय अथवा नष्ट करने से सुरक्षा संसाधनों के नुकसान में सुरक्षा	मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद 46, PESA V, VII SCHEDULE
09	अपनी रीति–रिवाज व धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किसी भी देश को अपनाने की स्वतंत्रता	भारतीय संविधान के तहत अमान्य उपबंध
10	ट्राइबल घोषित क्षेत्र का जबरन स्थानारण लिखित सहमति के बिना आवंटन अमान्य उचित मुआवजा जमीन वापसी	राईट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रेसैटलमेंट एक्ट 2013
11	सांस्कृतिक प्रॉपर्टी राईट उनका संरक्षण संवर्धन दावा एवं निराकरण का अधिकार	The Patents Act 1970, The Patents (Amendment) Act 2005- The Geographical Indications Of Goods (Registration & Protection) Act 1999
12	धार्मिक स्वतंत्रता संरक्षण एवं संवर्धन	मूल अधिकार अनुच्छेद 25–28
13–16	ट्राइबल भाषाओं में शिक्षा कानूनी व अन्य सुविधाओं का उपबंध	मूल अधिकार अनुच्छेद 29–30
17	श्रम कानूनों के अधिकार	संविधान अनुच्छेद 41–43 अ
18–20	न्यायिक सहायता एवं सुरक्षा के उपबंध	संविधान अनुच्छेद 20, 39
21–39	रोजगार सम्पति संस्कृति संरक्षण समान अवसर भेदभाव रहित वातावरण इत्यादि	मूल अधिकार अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 332 330 338 339 342
40–45	उपरोक्त उपबंधों द्वारा सयुंक्त राष्ट्र के अन्य संरक्षण के विभिन्न उपबंध	उद्देशिका एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल संरक्षण हेतु स्वतंत्र न्याय व्यवस्था
46	ये कानूनी बाध्यता नहीं है देशों को अपनी भौगोलिक क्षेत्र के संरक्षण के अधिकार इत्यादि	इसी उपबंध के आधार पर भारत ने अपनी अखंडता संप्रभुता को हानि पहुँचाये बिना घोषणा पत्र स्वीकार किया।

के घोषणा पत्र के लिए ग्राउंड वर्क किया गया। ILO के 1989 के प्रस्ताव जो शब्दशः बिलकुल वैसे हैं जो घोषणा पत्र में हैं को आज केवल 22 देशों ने स्वीकार किया है इसका कारण यह है कि इनकी कानूनी बाध्यता है। जो भी देश इस संधि पर हस्ताक्षर करता है और इसके उपबंधों को नहीं मनाता है उस पर ICJ (अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय) में दावा किया जा सकता है।

भारत ने इस संधि पर केवल इसलिए हस्ताक्षर नहीं किये हैं क्योंकि ILO अभी तक ट्राइबल समाज की अथवा इंडीजेनस लोगों की परिभाषा नहीं दे पाया है। इस संधि पर स्पेन के अलावा कोई भी ऐसे देश ने हस्ताक्षर नहीं किये जिन्होंने उपनिवेश काल में कई देशों पर आक्रमण एवं उपनिवेश स्थापित किये हैं।

2 — एक और मुख्य कारण है UNPO (UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLE ORGANISATION) ये संयुक्त राष्ट्र में उन देशों का अथवा लोगों का समूह है जिसे देशों के तौर पर मान्यता नहीं है लेकिन इनके अधिकार संधि के तहत सुरक्षित किये गए हैं। भारत के सन्दर्भ में अगर इस संधि पर हस्ताक्षर हो जाते तो शायद भारत की अखंडता खतरे में पड़ जाती। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार में UN में जाने को लेकर भारत को नुकसान हुआ उसी तरह हजारों संगठन खुद को संप्रभु घोषित कर UN में जाकर हमारी एकता व अखंडता को नुकसान पहुँचा रहे होते।

3 — ILO के ट्राइबल अधिकारों के 2006 के अधिवेशन में, भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस वाय. के. सबरवाल ने कई प्रश्न खड़े किये हैं, जो इसकी गंभीरता को दर्शाते हैं। आगे के अंश में उस पर विस्तार से लिखा है। ILO की अधिकारिक दस्तावेज संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के लिए निम्न प्रावधान चिन्हित किये गए है जो किसी भी देश की संप्रभुता के दायरे को लांघते हैं।

(पृष्ठ 33 पर शेष)

इस अंक में प्रकाशित लेखकों के विचारों से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

ILO में भारत का आधिकारिक पक्ष

-दिलमन मिंज (बिलासपुर हाईकोर्ट)

13 सितम्बर 2007 को भारत का पक्ष श्री अजय मल्होत्रा ने रखा था जिन्होंने मतदान के समय निम्न बातें रखीं :

1. वर्किंग ग्रुप विषय की जटिलता के कारण आम सहमति बनाने में असफल रहा।
2. वर्किंग ग्रुप "इंडीजेनियस" अथवा आदिवासी समुदयों को परिभाषित करने में असफल रहा।
3. इस घोषणापत्र का संदर्भ केवल उन राष्ट्रों के लिए है जहाँ उपनिवेशिक आक्रमणकारी शक्तियों से सम्बंधित बहुसंख्यक जनसँख्या के साथ वहाँ की मूल अल्पसंख्यक जनसँख्या भी रहती है जिसने अभी भी अपनी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनैतिक पहचान बचा के रखी है अथवा वो अभी भी इन देशों के अन्दर ही किसी अलग भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं।
4. इस घोषणा पत्र के "अपने क्षेत्रीय अधिकारों की मान्यता" जैसे उपबंधों का सम्बन्ध उन राष्ट्रों के लिए है जो आज भी विदेशी शक्तियों के अधीन हैं, न कि उन संप्रभु राष्ट्रों की जहाँ विभिन्न समुदाय प्रजातान्त्रिक प्रतिनिधित्व के अनुसार शासित हैं, चूँकि ऐसे उपबंध इन राष्ट्रों की भौगोलिक एकता को कमजोर करते हैं।
5. साथ ही "अपने क्षेत्रीय अधिकारों की मान्यता" जैसे उपबंध, इंडीजेनियस अथवा आदिवासी समुदायों, के द्वारा स्थानीय अथवा आतंरिक मामलों के लिए हैं, साथ ही इन समुदायों के स्वायत्त संस्थानों के प्रबंधन से है।
6. इस घोषणा पत्र के अनुछेद 46 के अनुसार ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत राष्ट्र के लिए कानूनी बाध्यता नहीं है।
7. अंत में श्री मल्होत्रा ने कहा कि भारत ऊपर बतलाई बातों के अनुसार ही इस घोषणा पत्र के समर्थन में मतदान कर रहा है।

वर्ष 2006 में विश्व कानून संगठन (ILO) के टोरेंटो के ट्राइबल अधिकारों के अधिवेशन में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्या न्यायधीश वाई.के. सबरवाल द्वारा रखा गया मत ही केवल भारत का अधिकारिक मत है। क्योंकि प्रजातान्त्रिक सरकार को संविधान पर व्याख्या हेतु सुप्रीम कोर्ट का ही मत मानना होता है।

भारत के अधिकारिक मत के अनुसार भारत में रहने वाले सभी लोग "ट्राइबल" हैं अथवा 'मूल निवासी' अथवा देशज' हैं इन सभी में से कुछ समुदायों को "अनुसूचित" किया गया है जिन्हें सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक व राजनैतिक समानता के नाते विशेष उपबंध दिए गए हैं।

ILO के द्वारा माँग किये जाने के अनुसार कि क्या ST/अनुसूचित जनजाति समाज अथवा जनजातीय समाज ही केवल भारत का ट्राइबल मूल निवासी देशज समाज है? ऐसे मत से इंकार किया गया है। ऐसा करने के पीछे न्यायमूर्ति ने कुछ सारगर्भित प्रश्नात्मक तथ्य सामने रखे हैं जो उन्ही की भाषा में दे रहा हूँ?

वर्ष 2006 में टोरेंटो में आयोजित आई.एल.ओ. का सम्मेलन

चीन से युद्ध
प्रत्येक देशभक्त बनें सैनिक

दो देशों के बीच सीमा पर हो रहे युद्ध के समय तो देश की सेना के जवान युद्ध करते है परन्तु वर्तमान युग में युद्ध केवल सीमा पर नहीं होता। खुलें व्यापार के कारण सभी देशों के उत्पाद एक दूसरे के बाज़ार में बेचे जाते है। ऐसे में भारतीय व्यक्ति यदि चीन की घरेलु चीज़ वस्तुएं न खरीदे तो चीन को आर्थिक क्षेत्र में अकल्पनीय नुकसान हो सकता है, जो किसी युद्ध की हार से कम नहीं है। अतः हम सारे देशभक्त यदि सैनिक बन आर्थिक मोर्चे पर देश हित में युद्ध करें तो चीन की प्रत्यक्ष युद्ध करने से पूर्व ही पराजय हो सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में निम्न लेख को पढ़े जो सोशल मिडीया के माध्यम से लिया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ परिवार की संगठनों ने चाइना के उत्पादनों पर पाबदी लगाने का जो आह्वान किया है, उस पर कुछ लोग प्रश्नचिन्ह लगा रहे है...

वह प्रश्न कुछ इस प्रकार के है –

1) सरकार स्वयं चीन के उत्पादों के आयात पर पाबंदी क्यूं नहीं लगाती ?...

2) आप चीनी उत्पादन का निषेध करने कहते है लेकीन नागपुर मेट्रो का काम तो सरकार ने खुद ही चीन को दिया है। अन्य कई जगह चीन के ही निधि से नदियों पर बांध निर्मित हो रहे है, रास्तों का निर्माण हो रहा है यह कितना उचित है?

3) चीनी उत्पाद, भारतीय उत्पाद से सस्ता और आकर्षक होता है, फिर हम सस्ता उत्पाद छोड़ कर भारत का महंगा उत्पाद क्यूं लें ? जैसे प्रश्न खड़े किये जा रहे है। उस प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास हम करते है...

यह तीनों प्रश्न सोशल मिडीया पर आज चर्चित है। प्रतिवाद के रूप में कुछ व्यक्तियों ने नागपुर मेट्रो के सम्बन्ध में अपना तर्क भी प्रस्तुत किया है।

आईये ! इन्हीं बिन्दूओं पर थोडा विचार करें ....

1) विश्व का लगभग प्रत्येक देश विश्व व्यापार संगठन के नियमों से बंधा हुआ है और इस नियम के अनुसार "विश्व का कोई देश किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकता है...इस नियम के अनुसार भारत चाइना जाकर व्यापार कर सकता है और चाइना की सरकार वहा उन पर पाबंदी नहीं लगा सकती है ठीक उसी प्रकार

चाइना भी भारत के बाजार में अपना व्यापार कर सकता है और सरकार उस पर पांबदी नहीं लगा सकती। परन्तु भारतीय नागरिकों बाज़ार से वस्तु खरीदने के लिये बंधे हुए नहीं है।

2) पूंजी निवेश से रेल, एक्सप्रेस महामार्ग (हाइवे) की निर्मिती, नदियों पर बांध निर्मिती, नहर तैयार करना आदि कामों से देश में रोजगार निर्मिती होती है और साथ मे देश की संपत्ती में बढ़ोत्तरी भी होती है। अपने देश में इसके लिए पर्याप्त राशी उपलब्ध नहीं होती। इस लिये हम विदेशी निवेश को बढ़ावा देते है। लेकिन चीन निर्मित वस्तुएं जैसे

की दिवाली के दीपक, आकाशदीप, गणपति, पतंग, मांझा, चाइना कपड़े, खिलौने, चॉकलेट, बिस्किट, पटाखे आदि ग्राहोपयोगी चीजे अपने देश में उपलब्ध होने के बावजूद भी हम क्यों खरीदें ? चाइना का माल खरीदकर हम अपना अमूल्य विदेशी चलन चाइना के झोली में क्यों डाले ?

यदि संक्षेप में बताएं तो अपने पास जो कम्प्यूटर चिप्स नहीं हैं वह आयात कर सकते है, लेकिन अपने स्वदेशी मार्केट में आलू चिप्स उपलब्ध होते हुये भी अगर हम चाइना से आलू चिप्स खरीद कर अपनी स्वदेशी पूँजी खर्चे तो उसका कोई मतलब है क्या ? इसी भेद को हमे ध्यान में रखना चाहीए।

3) चाइना में माल का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए उनका अपेक्षाकृत उत्पादन खर्च कम आता है। अत: वह अपना माल कम दामो में बेच सकते है। अपने देश ने भी 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत देशी उत्पादन की शुरुआत की है। भारत सरकार ने बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें मुद्रा बैंक योजना के तहत पूँजी की आपूर्ति करके स्वदेशी माल उत्पादन हेतु बाजार में प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे में हम इस नव उत्पादक युवा पीढ़ी द्वारा उत्पादित किया हुआ माल खरीदकर स्वदेशी बाजार को प्रोत्साहित नहीं कर सकते क्या ? आज स्वदेशी उत्पाद की कीमत चाइना के माल से दो पैसा ज्यादा है फिर भी वह पैसा अपने देश में ही रहेगा। स्वदेशी बाजार पेठ को हम सभी ने मदद की तो उन चीजों का भी उत्पादन बड़ी मात्रा में जिससे कीमतें कम हो सकती है।

भारत की सोच है कि हम ज्ञान के क्षेत्र में किसी भी देश से प्राप्त ज्ञान का अपने देश के हित में स्वागत करें परन्तु हम केवल घरेलु वस्तुएँ जो अपने देश में उत्पादित हो रही है, उसका प्रयोग करें तो भी देश को बहुत लाभ हो सकता है।

चाइना भारत में अपना उत्पाद बेच कर प्राप्त पैसों से पाकिस्तान को (भारत के विरोध में) लड़ने हेतु शस्त्रों की मद्द करता है। पूर्वोत्तर सीमा पर भारत से दुश्मनी मोल लेता है। कश्मीरी आतंकियों को हथियार उपलब्ध कराता है इसी चाइना के विरोध में केंद्र सरकार तो उचित कदम उठाएगी किन्तु हम एक देशभक्त नागरिक नाते चाइनीज माल को बहिष्कृत कर के चाइना के आर्थिक उन्नती के स्त्रोत को खंडित करके मदद कर सकते है क्या ? इसपर सभी को गंम्भीरता से सोचना चाहिए।

भारत माता की जय ! !

अनुवाद : निवेदिता वैशंपायन, दिल्ली

अनिल का अभिनंदन

हम इतिहास में छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप को जानते है। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लाल-बाल-पाल को जानते हैं। सुभाषचंद्र बोस और भगतसिंह को जानते हैं। परन्तु ऐसे अनगिनत वनवासी वीर योद्धा हैं जिन्हें इतिहास के माध्यम से विद्यालयों में न तो पढ़ाया जाता है, न भावी पीढ़ी को धरोहर के रूप में बालकों को सीखाया जाता है। जिन्होंने देश-धर्म-संस्कृति के लिये अपने प्राण दिये ऐसे वनवासी वीरों के बारें में लेखन होना चाहिए, यह समय की आवश्यकता है और जो लिखा हुआ उपलब्ध है उसे विद्यालयों में पढ़ाया जाए ये भी आवश्यक है।

महाराष्ट्र के अपने कार्यकर्ता अनिल वाघमारे ने वीर नाग्या क्रांतिकारी के बारे में एक पुस्तक लिखी। यह चरित्र क्रांतिकारी बोली में है। कुछ दिन पूर्व प्राप्त समाचार के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने इसी पुस्तक से नाग्या क्रांतिकारी के जीवन के बारे में कुछ अंश कक्षा 9 की पुस्तक में समाहित किये। 'वनबन्धु' की ओर से हम अनिल वाघमारे और महाराष्ट्र सरकार को अभिनंदन प्रेषित करते हैं। -प्रतिनिधि

संस्कृति और अर्थनीति के समन्वय से भारत पुनः बन सकता है सोने की चिड़िया : डॉ महेश चंद्र शर्मा

नई दिल्ली में भाऊराव देवरस स्मृति व्याख्यान का आयोजन

नई दिल्ली में दि. 2 जुलाई को भाऊराव देवरस सेवा न्यास द्वारा संस्कृति और अर्थनीति के संगम की उभरती विकास ज्ञान परंपरा इस विषय पर 24वां भाऊराव देवरस स्मृति व्याख्यान आयोजित किया गया।

पूर्व राज्यसभा सांसद एवं एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान विकास संस्थान के अध्यक्ष डॉ. महेश चंद्र शर्मा ने मुख्य वक्ता वक्ता के नाते कहा कि संस्कृति व्यापक अवधारणा है जिसमें सब कुछ समाहित है। विकास को मापने के मानक पश्चिम में मानवीय नहीं हैं वास्तव में हम पश्चिम की जिस अर्थनीति पर पिछले कई दशकों से चले, वह संस्कारों से रिक्त और विकारों से युक्त है इसके फलस्वरूप देश और दुनिया में आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भाऊराव देवरस को श्रद्धांजलि देते हुए आपात काल के दौरान उनके साथ अपनी स्मृतियाँ साझा की आदरणीय भाऊराव देवरस दिए गए प्रत्येक कार्य व विषय पर स्पष्ट दृष्टिकोण रखते थे।

सस्कृति और अर्थनीति के संगम की उभरती विकास ज्ञान परंपरा के विषय पर उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ वास्तविक सुख और मानसिक शांति मिलती है। भारत में संस्कृति व अर्थ प्रणाली में बेहतर समन्वय के कारण ही हिन्दू धर्म बचा रहा यहाँ धर्म, अर्थ और सत्ता विकेन्द्रीकृत थे। ज्ञान, शस्त्र, धन और भूमि के आधार पर सभी के कार्य बंटे हुए थे, लेकिन यह जन्म आधारित नहीं था। ज्ञानी व्यक्ति के पास समाज को शिक्षित करने के लिए कार्य था। भिक्षाटन व अनुशाषित साधारण जीवन के कारण उसे समाज में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। बाद में विदेशी आक्रमणों के कारण यह जन्माधारित हो गया और जातिगत कुरीतियों ने जन्म लिया। इस अवसर पर पर भाऊराव देवरस के जीवन पर एक वृत्तचित्र का भी प्रदर्शन किया गया.

पुस्तक, कापी मिल गई, चलो स्कूल चलें !

एकलव्य वनवासी आश्रम, कुक्षी (मध्य भारत) में छात्र प्रवेश उत्सव

मध्यभारत प्रांत के कुक्षी छात्रावास में छात्र प्रवेश उत्सव सम्पन्न हुआ। दिखने में तो साधारण लगने वाले इस उत्सव का मानसशास्त्रीय मूल्य विशेष है। विद्यार्थियों के बाल मन पर अंकित होने वाले ऐसे कई संस्कार भविष्य में जीवन पथ के प्रकाशमान दीपक बनते है। आयोजकों को धन्यवाद और सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र अनुरोध है कि हमें वनवासी छात्रावासों में बालक-बालिकाओं की न केवल निवास-भोजन व्यवस्था करनी है अपितु संस्कारक्षम कार्यक्रमों का आयोजन भी करना है।

एक ऐतिहासिक निर्णय कालदर गाँव को मिला सामूहिक वनाधिकार

15 जुलाई 2017 को कालदर गाँव में (विकास खण्ड साक्री, जिला धुलिया-महाराष्ट्र) सामुदायिक वनाधिकार पत्र के वितरण का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। महाराष्ट्र में पहली बार जिला कलेक्टर, जिला उप वनसंरक्षक के द्वारा प्रकट रूप से वनाधिकार कानून-2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन के व्यवस्थापन का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया।

इस कार्यक्रम में परिसर के 10 जनजाति गाँवों के 3155 हेक्टर क्षेत्र के वनाधिकार पत्र का वितरण किया गया। कुछ समय पूर्व वनवासी कल्याण आश्रम-देवगिरी प्रांत, स्व. कन्हैयालाल बहुउद्देशीय संस्था, मंजु गुप्ता फाउण्डेशन जैसी सामाजिक संस्थाओं ने ग्राम सभाओं को जागृत करते हुए सामुदायिक वनसंसाधन व्यवस्थापन हेतु सरकार को आवेदन दिये थे।

ग्रामसभा को वनाधिकार पत्र देते हुए जिलाधिकारी डा. दिलीप पांढरपट्टे ने कहा कि आज इस गाँव में सभी वनाधिकारी अपना हक्क छोड़ने के लिये आये है। वनाधिकारी अनारसे ने कहा - मानो ! आज हमने अपने सिर का बोझ हलका करते हुए ग्रामसभा को दिया है।

इस कार्यक्रम के पश्चात् सभी गाँव के सामुदायिक वन संसाधन, व्यवस्थापन समिति के सदस्यों की कार्यशाला सम्पन्न हुई। निवृत्त वनाधिकारी राजेन्द्र धोंगडे ने कहा कि 'वन' मानो एक कन्या है जो विवाह के बाद ग्रामवासियों के पास आई है। वह जैसी है वैसी स्वीकार कर हमें उसके भविष्य को उज्जवल बनाते हुए गाँव-समाज के विकास हेतु प्रयत्नशील रहना है।

जब भारत की संसद ने इस कानून को पारित किया था तब ऐसा कहा है कि अंग्रेजों के समय से जनजाति समाज पर हुआ ऐतिहासिक अन्याय इस कानून द्वारा हम दूर कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कालदर गाँव में आज इसका प्रत्यक्ष क्रियान्वयन हुआ। वन एवं वनवासी समाज के बीच जो अटूट नाता है उसे देखते हुए यह एक ऐतिहासिक घड़ी है।

वर्धा के कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं की पुलिस अधिकारी से भेंट

विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं ने वर्धा जिला के नवीन पुलिस अधिक्षक निर्मला देवी से भेंट कर उन्हें कल्याण आश्रम के कार्य की जानकारी दी। इस हेतु महेश बुधवाणी, लक्ष्मण मरसकोल्हे, महेश कावडकर, द्वारकादास दरक, प्रज्योत हेपट, सदिप बुधवाणी, रीतेश भोयर, अविनाश भडे का एक प्रतिनिधि मण्डल पुलिस अधीक्षक के कार्यालय गया था। प्रतिनिधि मण्डल ने पुष्प देकर अभिनंदन करते हुए कल्याण आश्रम का साहित्य जैसे नागपुर से प्रकाशित वनगुंजन की पत्रिका तथा वनवासी कल्याण आश्रम के स्थापक बाला साहब देशपाण्डे की जीवनी भेंट की।

असम में बाढ़पीड़ितों के बीच कल्याण आश्रम का सेवाकार्य

वर्तमान में असम राज्य में अधिक बारिश होने के कारण मोरीघाट जिले के लाहोरीघाट ब्लॉक - सोराहीआगी अंचल में बाढ़ आई है। कल्याण आश्रम-असम के कार्यकर्ताओं ने इस सन्दर्भ में बाढ़पीड़ितों से भेंट कर क्या आवश्यकता है? की जानकारी प्राप्त की। सेवा हेतु समयपर पहुँचे गुवाहाटी के कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं को बाढ़ पीड़ितों ने तिरपाल, लालटेन अथवा टोर्च, चद्दर और कंबल जैसी वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में बताया। गुवाहाटी महानगर समिति के कार्यकर्ता बाबूलाल श्रीमाल, हरिओम गोयल, प्रांत समिति के कोषाध्यक्ष मदन मोहन मल, प्रदेश संगठन मंत्री मोहन भगत, प्रांत सह शिक्षा प्रमुख दमयंति स्वर्गियारी ने प्रथम चरण में 100 परिवारों को सहायता करने का संकल्प किया। गुवाहाटी से आए कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं के साथ मोरीघाट जिले के जीवन सईकिया, खगेश्वर डेका, दधि बोडो, तोसी डेका, सुखदेव चौहान जैसे कार्यकर्ताओं ने भी साथ में रहते हुए सहायता कार्य में सहयोग किया।

इंदौर के श्री दत्त माउली सद्‌गुरू अन्ना महाराज संस्थान की ओर से महापौर के शुभहाथों वनवासी बालकों को शिक्षण साहित्य देकर सम्मानित किया गया।

Improve Conditions in 100 Most Backward Districts: PM to Top Bureaucrats

—S. K. Kaul

"Nobody can beat Prime Minister Narendra Modi in bringing the much needed but rarely talked about development issues into the national limelight."

On Monday, the 5th June 2017, the Prime Minister asked all secretaries to put collective efforts to improve the conditions of 100 most backward districts in the country during "definite short time-frame". The PM in his interaction with top bureaucrats said that "this should be adopted on a mission mode and various departments work as a team and not in silos to ensure that the goal is achieved. The PM also highlighted how working together has brought expected results in initiatives such as financial inclusion (Jan Dhan Yojana) and universal immunization in the last three years. He further said that initiations must be made outcome-oriented."

The Backward Regions Grant Fund

Since Independence, every planning model has carved special programmes for the districts. The development of backward regions / districts has been a major concern of planners in India and has a chequered history. However, prior to the Tenth Plan, the issue of development of backward areas was approached as primarily one of development of States through the formula for distribution of Central Assistance which was weighed in favour of less developed States and through Special Area Programmes such as Hill Area Development Programmes, Border Area Development Programmes, Drought Prone Area Programmes, Tribal Sub-Plans etc. The emphasis was on backwardness in terms of economic performance, though the impact of historical and social factors in economic matters was also recognized. It was also observed that special development schemes should not be mere palliatives but the potential for growth present in most backward areas needs to be tapped if these schemes are to have an impact.

Rashtriya Sam Vikas Yojana and the Backward Regions Grant Fund

Despite these efforts, one of the most serious problems facing the country was the wide disparity and regional imbalances between states and within a State between districts. It was these pockets of high poverty, low growth and poor governance that were slowing down the growth and development of the country. Therefore, in the Tenth Plan it was decided to have a new approach to target these

It was these pockets of high poverty, low growth and poor governance that were slowing down the growth and development of the country.

areas through a specific programme for Backward areas and the Rashtriya Sam Vikas Yojana (RSVY) was introduced in 2003. RSVY covered 147 districts. The three criteria used were agricultural wage rate, value of output per agricultural worker and SC/ST population. Keeping in view the experience of implementation of RSVY in the first two years, it was decided that implementation needed to provide participative and holistic approach and to involve PRIs. Thus the Backward Regions Grant Fund was initiated with the most important changes, namely, the involvement of Panchayati Raj Institutions (PRIs) not only in choice of schemes but also implementation and supervision, and the preparatory district plans to ensure convergence and prevent duplication.

The Districts under Backward Regions Grant Fund (BRGF) included all 200 districts covered under the first phase of the National Rural Employment Guarantee Programme (NREGP) and 50 more districts that were left out of the 170 districts identified by the Inter Ministry Task Group on Redressing Growing Regional Imbalances were added to make a total of 250 districts for coverage under the BRGF. The scheme had two components, namely, (a) District Component covering 250 districts; and (b) Special Plans for Bihar State and the Kalahandi-Bolangir-Koraput (KBK) districts situated in the southern and western parts of Odisha which have since been divided into eight districts, namely, Kalahandi, Nuabada, Bolangir, Sonepur, Koraput, Nabrangpur, Malkangiri and Rayagada. It is a matter of regret that the erstwhile Backward Regions Grant Fund, the only centrally sponsored scheme for the development of backward districts was discontinued in 2016.

...to put collective efforts to improve the conditions of 100 most backward districts in the country during "definite short time-frame".
—5th June, 2017 PM meeting with all secretaries.

Hill Areas Development Programme (HADP) and Western Ghats Development Programme (WGDP)

In 1965 the areas under HADP and in 1972 areas under WGDP were designated. Two Hill districts of Assam-North Cachar and Karbi Anglang, major part of Darjeeling. District of West Bengal and Nilgiris District of Tamil Nadu were included under HADP and 171 talukas under WGDP comprising of Western Ghats, 63 talukas in Maharashtra, 40 talukas in Karnataka, 32 talukas in Kerala, 33 talukas in Tamil Nadu and 3 talukas in Goa were identified.

In addition, Border Area Development Programme (BADP) extended to states adjoining international border with Bangladesh, Myanmar, China, Bhutan and Nepal.

Intra-State Disparities and District Planning

States have published State Human Development Reports (SHDRs). The SHDRs have computed Human Development Indices for each of the district in the States. Statistics generated on the basis of a uniform methodology by Central Statistical Organisation for computation of District Domestic Product are available for assessing the relative backwardness of districts. Variation in poverty levels across districts within a State are also available. A District Health Project for all districts in country based on Annual Health Survey undertaken by Registrar General of India will indicate maternal and child mortality statistics and many other details. All these statistics will enable to decide 100 most backward districts in the country. These districts will include Scheduled Areas of the country.

Step forward from the Backward Districts

India's 100 most backward districts are country's biggest development challenge. To meet any development goal such as reducing the maternal and child mortality rate or eradicating poverty, it will be necessary to first fix targets. Since Independence,

every planning model has carved special programmes of these districts for development. But these districts are not backward because of resource-related reasons. In fact, most of these districts have significant forest resources, which the local economy is critically linked to. Most of them also have plenty of water resources and minerals, which fuel the growth of the "modern" world. Beneficiaries, or victims to development models, these districts provide crucial lessons on how to develop or not such resource-rich areas. The strategy behind the experiments to develop these districts was to bring in the industries and develop will follow. But the local development index has not changed much. Instead, it triggered social unrest as huge chunks of forest land had to be acquired to make space for industries and people from outside the area in large number migrated to work in the newly opened industries and local people were not employed even as unskilled workers.

Mining Districts

Insofar as mining districts are concerned, the Central Government amended in 2015, the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, to set up a District Mineral Foundation (DMF) in every mining district of the country. The Act mandates that DMFs, to be established as non-profit trusts, should "work for the interest and benefit of persons and areas affected by mining- related operations." The mining companies pay a sum determined on the basis of their royalty payments to the DMF trusts and till February, 2017, the DMFs across India had received Rs. 5,800 crore. In September, 2015 Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKY) was launched to implement development projects and welfare programme in mining-affected areas using funds generated by DMFs.

Planning Fund Utilisation

Planning fund utilization is the most important part of DMF. Education, drinking, water and health care are the issues that should receive focus in all DMF districts. The focus should be on sustainable water supply measures from surface water and other natural resources through proper planning. Insofar as education is concerned, trained teachers should be appointed and provided residential accommodation and children given monetary assistance. On issues related to women and children focus shall be on efficient working of anganwadi centres. Investment in primary health care is crucial to improve the health and nutrition status of children and women.

Plan well and plan in an inclusive way

DMFs can be a huge help in addressing the deprivation and inequality afflicting the people living in the mining areas. All unskilled jobs must be given to tribals and people living in mining areas. Construction of roads, bridges must be funded by general budget. DMFs must distinguish between immediate and long-term development needs. While the immediate needs should get priority funding, the long-term needs should be built into the plan with a long-term perspective.

Don't want to return to Manipur : Irom Sharmila, the Iron Lady of Manipur

—Special Correspondent

Manipur occupies an important place in the history and also in our present-day life, as well. Manipur is a real 'gem', (Mani) of India and will always shine like a 'gem' and impart beauty to the whole country. Manipur is a region of the brave. Every Indian is aware of the tale of Chitrangada. It is a tale of glory. She was a brave woman who centuries back had held opinions which are being discussed today. Manipur may be backward economically but it is very rich in its arts, dance and handicrafts. We have to use modern science and technology for economic development, but we should see that it does not adversely affect the beauty and grace of Manipuri culture.

In March, 2017, elections to the State Assembly were held. On August 9, 2016, Irom Sharmila ended her epic 16-year long fast with a dash of honey. She had staged a naked protest outraged over the rape and murder of a woman allegedly by personnel of Assam Rifles and took on the Centre, single-handedly with her 16-year-long fast demanding the repeal of Armed Forces Special Powers Act (AFSPA). She had filed her nomination against the formidable, the then Congress Chief Minister Okram Ibobi Singh who was contesting from Thoubal Constituency because she blamed the Chief Minister that he did not do enough to lift AFSPA from Manipur. However all three candidates of her People's Resurgence and Justice Alliance (PRJA) Party including herself had to bite the dust in the polls held in March 2017.

A few days after the election results were declared, Sharmila went to Perumalmalai in Kodaikanal in Tamil Nadu to get 'mental relief'. She is staying there since then. "I am totally fed up with politics. Nevertheless, I'll continue to fight against AFSPA", said Sharmila. She has filed an application to tie the knot with her British partner Desmond Coutinho at the sub-registrar's office in Kodaikanal and the marriage will be solemnized at a local church in Perumalamalai. The rights crusader said on 13th July, 2017 that she doesn't want to return to her home state Manipur ever again and wants to live the life of a normal women.

Meanwhile, the Supreme Court has taken cognizance of PILs filed by Extra Judicial Execution of Victim Families Association and Dr. Suresh Singh and said that in the present petitions, "the next of the kin could not access justice even in the local courts and said our constitutional scheme does not permit us (the Court) to shut the door on such persons and our constitutional obligation requires us to give justice and succour to the next of the kin of the deceased".

The Supreme Court has asked the CBI on 14 July, 2017 to form a special investigation team (SIT) to probe 95 cases of alleged extra-judicial killings by security forces in Manipur. "The Apex Court said access to justice is a basic human right, which enjoys a special place in India's constitutional scheme. The history of public interest litigation over the years has settled that the deprived sections of the society and the downtrodden such as bonded labourers, trafficked women, homeless persons, victims of natural disasters and others can knock on the doors of our constitutional courts and pray for justice."

Self-government in Tribal villages of Jharkhand not a threat to national sovereignty

—P.D. Gulati

In the month of June 2017, a newspaper published an evocative report about strong images of "Death Stalks 'outsiders' in Jharkhand Villages". Many tribal villages in Jharkhand have put up at the village entrances notice that "outsiders" are barred from entering the village without the permission of gram sabha (village committee). The correspondent was asked how did you enter the village? Did you not read the instructions? asked a young villager. The story gives a message of some kind of collapse of Indian sovereignty and developments in the context of recent lynching of "outsiders as child lifters" in Jharkhand. This is not to challenge Indian sovereignty but to assert the right to self rule.

Constitution Making

Dr. Rajendra Prasad, President of the Constituent Assembly, was in favour of making the village republic as the basis of the whole Constitution. Dr. S. Radhakrishnan while speaking on the resolution regarding 'Aims and Objects' said that Panini, Megasthenes and Kautilya refer to the Republics of Ancient India. The Great Buddha belonged to the Republic of Kapilvastu. Mahatma Gandhi taught us in almost the last mantra that he gave us in the last days of his life to strive for Panchayati Raj. Shri Aurobindo in his book 'The Spirit and Form of Indian Policy' and other historians and research scholars have given us precious information about the village republics in the past. And that tradition continued uninterrupted in remote regions which escaped the ravages of the British Raj. The tribal societies in the North-East though small in number had been self-governing bodies. However, Dr. B. R. Ambedkar, Chairman of the Drafting Committee of the Constitution, dubbed the village as a "sink of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness and communalism" and was "glad that the drafting committee discarded the village and adopted the individual as to unit." These views of Dr. Ambedkar were criticized by members of the Constituent Assembly. However, when the Constitutional Adviser, Sir B. N. Rao dealt with this question, he sympathized with the whole thing, but pointed out that it was too late to make any attempt to change the basis of the Constitution.

Search for a Middle Path

Here was a dilemma. According a middle way had to be found to resolve the issue. A new article 31A renumbered a Article 40 in the final draft was added in the draft constitution as a Directive Principle of State Policy on November 2, 1948 as follows:

..."Sink of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness and communalism" and was "glad that the drafting committee discarded the village and adopted the individual as to unit."

"The State shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self-government". However the powers were to be delegated to Panchayats by the State legislatures.

Fifth & Sixth Schedules to the Constitution

The 5th and 6th Schedules of the Constitution and the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas Ad), 1996 (PESA Act, 1996) give Scheduled Tribes the right to self-govern. If these Schedules are strictly followed, then villages would be powerful republics.

Should tribal hunts be allowed?

—Rajat Ghai

(Tribals in India organise ritualistic hunts despite the ban on hunting. Is it the law or culture that has to evolve? Jallikatu in Tamil Nadu, the bull fight in Spain and Fox hunt in Britain were once banned and then un-banned. On these matters, the struggle between status quoits and change agents has been very contentious and bitter.—Editor)

BETWEEN JANUARY and April every year, several tribes in different parts of India prepare to observe a special tradition. It is the post-harvest season and the men in the tribes celebrate the period by going into the forests on mass ritualistic hunts.

In Koraput and Malkangiri in southern Odisha, the tribes' chiefs, priests and shamans decide the date and time of the hunt. The hunting party comprises 50 to 500 members, all of whom are assigned a specific role. Some members chase the animals into a particular spot, while others wait to ambush the animals. After the hunt, the men march back to their villages in a victory procession. They are welcomed by women and the priests and the slaughtered animals are offered to their deities. The celebration ends with a feast in which the meat is cooked and shared by the village. "In addition to providing food, such rituals address the tribals' economic, cultural and physical well-being," says Subrat Sahu, a Delhi-based tribal activist.

The communal hunts are called by different names in different regions: the one organised in Jharkhand's Dalma Wildlife Sanctuary is known as Vishu Shikar, Sendra and Jani Shikar. The Santhal tribe of eastern India calls the festival Disu Sendra or Disom Sendra, while the Mundas and Oraons call it Phagu Sendra. It is also practised by the Marias in Chhattisgarh and many tribes in India's north eastern states.

Trouble with the law

Forest-dwelling communities have hunted for centuries. But if one takes into account the present law of the land, all types of hunting are illegal. The Wild Life Protection Act, 1972, strictly bars the killing of scheduled animals or animals protected by the law. Though the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA), 2006, recognised the right of tribal communities over forest produce, it excluded forest animals from the definition. In other words, the law prohibits forest communities from practising their traditional right of hunting or trapping or extracting a part of the body of any species of a wild animal. And yet, neither tribals nor others have ever taken to the streets to protest for their cultural right. "Unlike jallikattu, where a large number of youth were mobilised on social media, the tribals in Simlipal or Dalma do not stand a chance when it comes to getting media attention for their issues," says Biraj Patnaik, principal adviser to the Supreme Court Commissioners on the Right to Food.

Legal or not, tribals continue to hunt during the winter and spring, leading to confrontation and clashes between them and the authorities. Rakesh Hembrom, secretary of the Dalma Buru Sendra Samiti, that organises the mass hunt every year in Dalma, Jharkhand, is ready to defy the law. "Hunting is a way of life passed down to us by our ancestors. We have been hunting since the dawn of time, when there were no laws. And we will continue it. We will not allow our culture, religion and traditions to be obliterated," he says.

The police and forest officials are aware that such hunts are likely to be organised during certain months each year and try to stop the tribals from entering the forest. If the tribals manage to enter national parks and wildlife sanctuaries, the officials try to evict them. The police also hold flag marches or patrols through tribal

villages around the time of the hunts, to keep an eye out for such activity and deter the tribals. The most widely reported clashes between the two sides take place in the Dalma Wildlife Sanctuary in Jharkhand and the Simlipal Tiger Reserve in Odisha in April (see 'Hunt for Hunters'). "Like every year, this time too, we are creating awareness in tribal villages, gathering intelligence about would-be offenders and cooperating with tribal shamans who sanction the hunt," says Harish Kumar Bisht, field director-cum-regional conservator of forests, Baripada, Odisha, where the Simlipal Tiger Reserve falls. Ajay Kumar Satpathy, deputy field director of the Simlipal reserve, claims that no incidents of tribal hunting have taken place in the reserve since 2012. "Our patrolling and security arrangements have become very strict. We are able to drive away any tribal parties who try to enter the park. Prior to 2012, poaching incidents did take place and mass arrests were made from 2006 to 2008."

But law enforcement is a tricky issue in the Northeast where tribal and community culture dominates social matters. Like in other states, tribal hunting in north eastern states is also practised in the winter months. People hunt in groups and target deer, wild boar, antelopes, squirrels, birds and bats, among others. Except in wellknown national parks and sanctuaries such as the Kaziranga in Assam, tribal hunting is practised in defiance of the State's laws. Gin Neih Thang, a social activist and Zomi tribal from Manipur, says, "There are no hunting restrictions known to tribals in the Northeast. Even if there were, no one would agree with them as being able to hunt in your own land is part of tribal culture." Many forests are owned by communities and are governed according to their own laws. For example, in eastern Assam, most forests in the Tenymei Naga areas are community owned, while among the Tangkhul and Sema tribes, forests are owned by tribal chiefs. "In Mizoram, we (Chin-Kuki tribals) are in power. The tribal government usually regulates hunting," says LL K Piang, assistant professor of social sciences at the Jawaharlal Nehru University, Delhi.

Hunt for hunters

Some tribal areas have become flash points for clashes between the authorities and the people due to ritualistic hunts.

Karnataka

Till a Supreme Court ban in 2003, Magadi town in Ramanagara district used to witness the Kolubete festival in which people hunted jackals, wild boar, jungle cats and monitor lizards with sticks. Bellari district is another flashpoint for confrontations.

Jharkhand

In 2007, when tribal people tried to force their way into Dama sanctuary, the authorities set a herd of tuskers on them, prompting them to beat a hasty reatreat.

Odisha

Mid-April is a tense period in Simlipal when police seal entry points to the reserve and patrol surrounding tribal villages. Other flare-up spots in the state include Koraput, Rayagada, Malkangiri, Sundargarh and Keonjhar.

Conservation or culture ?

It is difficult to quantify the extent of tribal hunting in India. Though cases of hunting are registered under the Wildlife Protection Act, there is no official data differentiating between incidents of ritualistic hunting and those of poaching for illegal wildlife trade or sport. Hence, there is no ready information on how many animals are killed by tribals each year. But conservationists say the practice of tribal hunting threatens the wildlife population in forests. "These mass hunting practices are no longer sustainable. Almost all

forests of east-Central India are suffering from what scientists call 'empty forest syndrome' where all large-, medium- and even small-sized wildlife has been wiped out completely. There are simply not enough wild animals left to sustain such hunts," says Raza Kazmi, a wildlife conservationist in Jharkhand. Salkhan Murmu, a politician from Jharkhand, says the practice should be discontinued. "Ritual mass hunting was done by tribals to keep the population of wild game under check. Now there are no animals left. Why should it be done in such a situation?" he asks.

But others argue that tribal practices are in sync with the cause of forest conservation. "When it comes to hunting, indigenous societies know exactly which animal is to be hunted or not hunted in what season, unlike the poachers and the Forest Department," says tribal activist Sahu. "They have the knowledge and skills to maintain the balance of not only the animals, but also their ecosystem." Sahu adds that the problem starts when experts, who do not understand this symbiotic relationship between indigenous communities and their surroundings, make laws about the ecosystem. Kaisu Kokho, assistant professor at Delhi's Jamia Millia Islamia, says the timing of tribal hunts is thoughtfully selected. "In eastern Assam, the hunting season is from October to March. Animals do not breed during this period. But from April to September, the tribes do not hunt so that animals can mate and produce offspring," he explains.

Nutrition is also a critical aspect as the levels of stunting and wasting due to malnutrition and undernutrition are high in tribal areas. Mamang Dai, a Padma Shri author from Arunachal Pradesh, says, "In the past, hunting was about food security. Meat and fish was usually dried and stored for lean periods." Among other tribes, though wild game does not constitute a major part of the diet, it is one of the sources of protein. "Our experience of working with tribal communities shows that tribals are eating a very poor quality of diet and depending essentially upon rice to fill their stomachs. There used to be some advantage from hunting and gathering from the forest, which is now long gone. It has not been replaced by the market, or

their own agricultural, horticultural, poultry and animal breeding practices," says Vandana Prasad, Supreme Court Commissioner on the Right to Food.

Middle ground

Wildlife conservationist Kazmi suggests that tribal hunts must evolve to preserve the culture and rituals but exclude the killing of wildlife. "This has been tried over the years in Dalma and many tribal leaders and groups are slowly understanding and coming aboard," he says. Other experts suggest allowing tribals to hunt while maintaining conservation, like in African countries such as Tanzania (read 'For the people', p40). Whether such a move will see support from lawmakers and conservationists in India is, however, doubtful

Courtesy : *Down to Earth* / 16 Feb 2017

? Do You Know?

GoI has decided to ban polythene bags from monuments protected by Archaeological Survey of India such as the Taj Mahal, Red Fort, Qutab Minar and Khajuraho. Visitors will not be allowed to carry even food packaged in plastic wrappers inside the monuments. Visitors will not be penalized for the first two months but a decision could be taken later to introduce fine.

By P.D. Gulati

55 yrs after China war, Arunachalis may be paid for land Army acquired

Thousands of Arunachal Pradesh residents may soon get an unexpected surprise: After a wait of 55 years, they may receive compensation for land acquired by the Army following the 1962 war with China.

The Central and Arunachal Pradesh governments are working out details for the compensation package, which is likely to be to the tune of Rs 3,000 crore.

Minister of state (MoS) for defence Subhash Bhamre, MoS for home Kiren Rijiju, chief minister Pema Khandu and senior officials of the Centre and state governments discussed the issue at an hour-long meeting here on Tuesday.

Rijiju, a native of Arunachal Pradesh, said the meeting was held to settle the issue arising from the acquisition of land for defence establishments in the frontier state following the 1962 war.

The land was acquired in the districts of Tawang, West Kameng, Upper Subansiri, Dibang Valley, and West Siang among others.

"Although the people of Arunachal Pradesh can be branded 'ultra-patriotic' Indians, of late, a sense of resentment has been brewing among them on account of the non-payment of compensation for huge areas of land occupied by the Army," Rijiju said.

Bhamre is said to have asked officials in the defence ministry and the Army to fast-track all the pending issues through proper coordination with each other and the state government.

Rijiju has also asked the officials to give a time-frame for the resolution of issues that came up for discussion during the meeting.

Khandu said that the issues pertaining to lease rate, grant of ownership rights, payment of dual compensation, and fixation of land rates will be resolved soon.

The chief minister said the Arunachal Pradesh cabinet had already constituted a high-level committee to examine all issues.

Courtesy : TOI 01-06-2017

A soldier stands guard at India's border with China in Arunachal Pradesh

? Do You Know?

Indigenous rights of Sioux tribe, living in the Indiana Reservation on the border between North and South Dakota in the United States of America, have been thrust into the spotlight in April, 2016 when the tribals started a non-violent demonstration against the construction of the Dakota Access Pipeline which is designed to carry oil from Montana's Bakken oil fields to a distribution centre in Illinois. The tribals argue that the pipeline is being built on tribal land and that it passes under the Missouri River and can pollute the water. The protest drew at least 100 Native American tribes. In early September 2016, guard dogs brought by the company building the pipeline were let loose on the protesters. Following an outcry, the US government announced it would review the project and hold constultation with the tribals.

By P.D. Gulati

VANASUMA award conferred on Padma Shri Sukri Bommu Gowda by Vanavasi Kalyan Ashrama at Bengaluru

The Vanavasi Kalyan Karnataka had organized the event "Vana Suma – A flower in the forest"—at RV Teachers College, Bengaluru. A scintillating presentation of dance and folk music of various tribal communities of Karnataka was made for the audience. The primary highlight of this program was the presence of the nightingale of the Halakki Vokkaliga tribes the gem of Vanavasi, Padma Shri awardee Sukri Bommu Gowda. She was felicitated with Vanasuma award in the presence of Sri Sri Sowmyanatha Swamiji, Sri Adichunchanagiri Bengaluru Shaksha Math.

Smt. Sukri Bommu Gowda belongs to the Halakki Vokkaliga tribe and does from fantasy to daily life chores, from marriage to protest. She began singing early along with her mother and has a collection of more than 1000 songs. These songs have been passed on for generations while she has added some of her own over the past several decades. Ajji has been honoured with prestigious awards like Janapada Shri Award, Naduja Award and the Alva Nudisri Award. Sri Babun Ghosh sketched out a beautiful portrait of Smt Sukri.

Each Vanavasi community has their own performance steps of their dance.

For example the Gowli tribe dance performers adorn large sized clothing depicting the size of elephant and use their hand to gesture like an elephant. This dance is celebrated with drum beats. The Koraga tribe traditional "Dollu Kunitha" is performed on auspicious occasions like birth of a child, marriage etc. and the dance form varies based on the event / occasion.

Irulikani tribe community presented their mesmerizing folk music. The Gowli tribe are considered as the descendants of Shri Krishna and their major occupation is to take care of the cows, and to entertain themselves, the tribals play Muralinaada. They perform "Pugdi Nritya" which has two versions, one performed by the Gowli tribe and the other by Siddi tribe. In the version presented by Gowli tribe, the performers dance in sitting position for long durations and during festivals. The Siddi tribe performed the hold empty water pots and blow into the pots that produce different sounds.

The Siddis also perform "Damami Nritya". Damami is an instrument made of the bark of the tree of the same name. In this dance form, the men play the Damami and the women dance and song to celebrate joyous occasions. The dance is played all night. The dancing groups could be all men or women only. The songs are mostly about nature, birds, animals, fruits, flowers etc.

By Gopal Kesri, Bengaluru

Do You Know?

Twenty-five per cent of the body's cholesterol resides within the brain. Cholesterol is the integral part of every brain cell. Without adequate cholesterol brain cells die.

By P.D. Gulati

Tamil Nadu tribals return to 'cave' life

The nearby caves

■Senthil Kumaran

In the global village, 'cavemen' is an anachronism, something that existed in the Palaeolithic age, or the stuff Hollywood movies are made of. However, a village in Dharmapuri district has moved en masse to nearby 'caves' as their houses built by the government have become unliveable.

About 120 people of Pannappatty village near Pennagaram said that they are left with no other option after heavy rain and wind destroyed their houses.

The Forest Department in Dharmapuri district constructed about 30 houses at the village in 1990 for scheduled tribe (ST) people.

"Those houses started crumbling within five years," said K. Suresh Kumar, a resident. He told TOI that the houses are now in a dilapidated condition.

A few weeks ago, a sudden whirlwind shattered their houses and their lives. Since then, none of the houses is liveable.

The residents have vacated the houses and started living in caves. The residents of the Tamil Nadu's Dharmapuri said the district administration has failed to take action on their petitions.

The villagers are threatening to commit suicide if the district administration fails to fulfil their demands.

Courtesy : TOI 19-05-2017

? Do you Know?

Demystifying Demonetisation : Demonetisation is the process of stripping a currency of its legal status by the process of exchanging the currencies which are being stripped of its value, with other currency notes of equivalent value. Prior to demonetization process started on 8th November, 2016, in 1978 also India had gone for a round of demonetization when currency notes of Rs. 1,000, Rs. 5,000 and Rs. 10,000 were demonetized to tackle black money. Earlier in 1946 also, India had demonetised currency notes, which was aimed at catching businessmen who had made profit during World War II but did not declare their income to the taxmen.

By P.D. Gulati

Some people are old at 18 and some are young at 90. Time is a concept that humans created.

—Yoko Ono

(By Social Media)

Felicitation of Smt. Achamma in Delhi

Vanavasi Kalyan Parishad was started in Matham Village of Visakhapatnam District of Andhra Pradesh in the year of 1978. Swargiya Sridharji started Vanavasi Kalyan Parishad for the all round development of Vanavasis residing in and around Paderu. At that time a small girl, Achamma came into contact through Single Teacher School. Not only she, but the entire family came into contact of Vanavasi Kalyan Ashram of Andhra Pardesh.

Smt. Achamma:

As she was growing up with the spirit of patriotism that was developed in her by the Kalyan Ashram, she developed love towards the country. She has been spending significant time and working for all round development of Girijans since then. With passing years, she married and has children. Even as she fell in line, she continued working as a full time Karyakarta and devoted time to work for the Kalyan Ashram. Though she lost her husband, she never neglected her seva programmes and showed unflinching commitment towards her work. She toured vigorously in all the areas and discharged her duties as mandal Mahila Pramukh, District Mahila Pramukh and Prantha Mahila Pramukh with Vanvasi Kalyan Parishad.

Response of Smt. Achamma:

In reply to the facilitations, she said that it is a proud privilege to conduct Seva Pragrammes in the Vanavasi areas. I feel extremely honoured to have been felicitated. I will donate the money that I have received in cash as part of the felicitation to the Kalyan Ashram. In this entire journey, my Son too cooperated and helped me in my undertaken work. I feel extremely happy about it.

Felicitations:

1. She was working with utmost interest and zeal in the Matham area. This was recognised by INNER-WHEEL CLUB ad SNEHA SANDHYA of Visakhapatnam and facilitated her on the occasion of International Women's Day on 8th March 2017. Her dedication and devotion for the cause was widely recognised and it is a proud moment for the Girijan Mahilas.
2. Smt. Achamma was again facilitated in Kshetrapur, Sani Ashram, Near Delhi. Rashtriya Swayam-sewak Sangh Sarsanghachalak Pujya Shri Mohanji Bhagawat facilitated her.

Tribals of Vrasova village to have their own graveyard

The one hundred and fifty tribal families of Vrasova village that comes in the Mira Bhainder Municipal Corporation will soon realize their dream of having graveyard for their community. They have been asking for it since the time of British rule in India. The tribals have retracted from their decision to boycott voting as they have been assured by Member of Maharashtra Legislative Assembly Narendra Mehta to grant them with the land for graveyard.

The tribal families have been residing in this area for a long time and they had to burry the dead on the land of forest depart due to not having their own land of graveyard. They have been struggling to get their demand accepted by the administration for long but nobody in the administration gave them hearing. This apathy led them to take a decision to boycott voting. Now that they have been assured by Mr. Mehta, things are settled. The tribals of the place are jubiliant now. —Correspondent

? Do You Know?

Zebra stripes serve as a great camouflage that protect them against their predators, mainly the lion, which is colour-blind.

By P.D. Gulati

(Contd. from Page 14)

Plenary Sessions: Rights of Indigenous Peoples

—Y.K. Sabarbal
Chief Justice of India

I am extremely happy in this Plenary Session of the ILA here in Toronto. The multicultural city of Toronto gives us a glimpse of how cities the world over will look in the not-so-distant future, even as each city retains its distinctive landscape and cultural heritage. For over a century and a quarter, ILA has made a substantial contributions to the clarification and development of international law in crucial areas of public and private international law. The host Canadian Branch has been contributing to the efforts since being established in 1967.

I would like to congratulate both of them. Each of the areas that ILA has taken up in its work in this conference is significant, be it international commercial arbitration, international trade law, international foreign investment law or the teaching of international law. I wish the various committees, study groups, delegates, and participants complete success in their work and endeavour.

We in India would like to closely follow the work of ILA, of course understanding and interpreting it. In the light of our own history, constitution and experience, it is equally important that the experience of a country like India finds reflection in the work of the ILA. At the same, the world of international law in India can gain from the study of the endeavours of the international law because it has grained great importance in recent years.

International economic and trade law has developed rapidly. This has coincided with the liberalization of the Indian economy since 1991. This period has also seen many changes in the domestic legal system. Thus, India's foreign investment laws have been suitably modified to create an environment conducive to the inflow of foreign capital. India is also bringing about other changes in the domestic legal system. For instance, India enacted the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 to replace the old Indian Arbitration Act, 1940. I am sure the work of ILA in the field of International Commercial Arbitration would be helpful in thinking through many of the difficult issues that arise from time to time.

The Supreme Court of India has also been sensitive to developments in international law. By judicial interpretations and pronouncements, it has sought to incorporate developments in the domain of international human rights law in the domestic law. In numerous cases, Indian Supreme Court has emphasized that while discussing constitutional requirement, courts should keep in view the core principle embodied in the International Conventions and Instruments and so far as possible give effect to the principles contained in those international instruments more so when there is no inconsistency between them and there is a void in domestic law."

On the idea of "indigenous peoples"

The issue of the rights of indigenous peoples, the subject of

Do You Know?

The Ministry of New and Renewable Energy has drawn up a list of 100 large *ashrams* to promote its target of generating 40,000 MW of rooftops solar power. This renewable form of energy will promote among millions of their followers the cause of green energy. The *ashrams* will be given a "Commitment Certificate" for their cooperation for setting up solar power projects.

By P.D. Gulati

this plenary session, raises complex and difficult questions. It is estimated that there are more than 370 million indigenous people spread across 70 countries. They are distinct from the dominant societies in their countries. They have unique traditions, distinct culture and peculiar approaches towards land, life and religion. They are usually described as descendants of those who inhabited a country at the time when the people of dominant cultures or ethnic groups occupied the country. The dominant groups attained supremacy through conquest, occupation or settlement. There is a continuing debate in India about the appropriateness of the use of the phrase "Indigenous peoples". Some scholarly work tends to support it while others are skeptical of the use of the term Indigenous people. As far as the argument against the use of the term "indigenous peoples" for tribal people in India is concerned, I would like to summerize it in the following ways: Firstly, it is argued that it is not easy to identify indigenous people in india. For there have been continuous process of movement of populations with different language race, culture religion going back centuries and millennia. Tribal communities have been a part of historical process. In the circumstances the question arises as to how far back in history should one go to determine the identity of indigenous peoples? Whatever the nature of determination, it is likely to be extremely artibatry and controversial (Xaxa 1999:3591). Secondly, tribal and non-tribal peoples have lived in india in close proximity for over centuries leading to, as one author puts it, much accumulation and even assimilation into the larger Hindu Society (id).

In the light of our own history, constitution and experience, it is equally important that the experience of a country like India, finds reflection in the work of the ILA. At the same, the world of international law in India can gain from the study of the endeavors of the international law because it has grained great importance in recent years.

Thirdly, in the case of India, some tribes are no longer tribes but have become, as the eminent sociologist Andre Betteile puts it 'castes or something else (Betteille 1998:190). Fourthly, tribal peoples in many cases may have settled in India long after some non-tribal peoples in other parts of India (id). Finally attention has been drawn to the serious national sovereignty issues involved revolving around question of "self-determinaion" and ownership of lands.

It may not be fair to say that the claim of some countries like that of India are not correct. India,at times, is indicted unjustifiably on the ground that it is resisting to accept the existence of the indigenous peoples in the society. When one looks at it from the standpoint of a person other than Indian, it may appear that India's stand is not correct. But one who is familiar with the Indian scenario, will agree with the Indian perception. India has a history of cultural assimilation even while we agree to some communities maintain their distinct identity within the nation. India always presented a unity in a diversity and diverse cultural identity is no insignia of the existence of indigenous group.

Indeed, India accepts the existence of different tribes within its larger system again not different from the main culture in terms of the core values. True to its tradition of cultural assimilation and spirit of accommodation, the Indian Constitution presents the picture of the larger system of permitting the smaller political systems of tribal population to be the part of the system to remain distinct culturally but to be part of the larger system politically with sufficient autonomy whenever necessary and possible. Schedules V and VI of the Constitution of India specifically make provision for safeguarding the interest of the tribal people in India located in what is called tribal areas. Tribal people of other areas are taken as part of the main society in the areas where special constitutional provisions have not been framed for them. They are to be assimilated rather than to be made separate entity. Indeed, under the scheme ,their cultural identity is assured to

be maintained.

It is pertinent to note in these regards that the UN Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is yet to be adopted despite 11 years of "negotiations" by the working group of the United Nations Human Rights Commission (UNHRC). UNHRC is now to be replaced by the Human Rights Council. The working group was, as we know, set up in 1995 and its term extended by the commission into the second International Decade of the World's Indigenous Peoples (2005-2015). The key obstacles in achieving progress have inter alia include dissues relating to "self determination" treaty rights, and lands, territories and resources (see UN 2005, UN 2006). The feeling of many States with regard to these issues is strong as it involves their territorial integrity and political unity. On the other hand, there is an urgent need to correct the historical injustices heaped on the "indigenous peoples" where they exist.

India and Welfare of Tribal peoples

India has been successfully experimenting with federalism during the last half a century. And it should be said to the credit of the system that India has succeeded in affording protection of human rights of its citizens including the members of the tribal communities. Apart from administrative authorities including government wings of Department of Tribunal

Article 46 of the "directive principles of the state policy" that is "fundamental in the governance of the country" states: "The State shall promote with special care, the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

Welfare both at central and state levels and interstate council, India has several independent bodies such as National Human Rights Commission, State Human Rights Commission, Minorities Commissions, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission, National Commission for Women etc. to safeguard the human rights of peoples who claim to be treated as indigenous peoples. International efforts for their protection have their roots in the concern for the protection of their rights. Its history shows that all started as part of anti-racialism within the human rights discourse. If so, treatment as separate entities may not be necessary. Administrative efforts incorporating and employing affirmative action under the watchful eyes of vigilant independent judicial and quasi-judicial bodies may ensure the protection and promotion of rights of people who claim to be treated specially from others. India has the largest concentration of tribal people anywhere in the world except perhaps in Africa.

The prominent tribal areas constitute approximately about 15 per cent of the total geographical area of the country. The main concentration of tribal people is the central tribal belt in the middle part of the India and in the north-eastern states. However, they have their presence in all states and union territories. There are nearly 533 tribes (with many overlapping types in more than one State) as per notified Schedule under Article 342 of the Constitution of India in different States and Union Territories of the country with the largest number of 62 being in the State of Odisha. The Constitution of India, it may be noted, does not define the term "Scheduled Tribes". Instead, Article 366(25) refers to Scheduled Tribes as those communities who are scheduled in accordance with Article 342 of the Constitution. According to Article 342 of the Constitution, the Scheduled Tribes are the tribes or tribal communities or part of or groups within these tribes and tribal communities that have been declared as such by the President of India through a public notification. The Constitution of India provides for a comprehensive framework for the socio-economic development of Scheduled Tribes and the prevention of their exploitation by other groups of society. It provides the necessary safeguards for the rights of tribal peoples in Articles 15, 16, 17 and 23 of the Ministry of Tribal

Affairs, Government of India http://tribal nic in/index/html. Constitution. Article 46 of the "directive principles of the state policy" that is "fundamental in the governance of the country" states: "The State shall promote with special care, the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

Further Article 330 of the Constitution of India makes reservation of seats for Scheduled Tribes in the House of People.

I may also mention the Article 335 that requires the government to consider the claims of Scheduled Tribes in appointments to services and posts in connections with the affairs of the Union or of a State. In October 1999 a Ministry of Tribal Affairs was created by the Government of India through the bifurcation of the Ministry of Sotial Justice and Empowerment. The objective was to ensure more focused attention on integrated socio-economic development of the most underprivileged section of Indian society, the Scheduled Tribes in a coordinated and planned manner. A number of welfare schemes have been created by the Ministry to advance the interests of tribal peoples. Betteile observes, "India has one of the oldest and most extensive programmes of positive discrimination or affirmative action" (Betteile 1998: 187). His experience has been unique and worthy perhaps of more extensive study. . Indeed, as Betteile said "Let me also say a few words about the perfomance of Indian Judiciary in protecting the rights — and rights in panicular in the context of exploitation of mineral sources from the land owned by peoples not belonging to the dominant society. To supplement their income, land is their most important natural and valuable asset and imperishable endowment from which the tribals derive their sustenance, social status, economic and social equality and permanent place of abode and work and living. It is a security and source of economic empowerment. Therefore, the tribes too have great emotional attachment of their lands. The land, on which they live and till, assures them equality of status and dignity of person and means to economic and social justice. For details see annual report 2004-05, Ministry of Tribal Affairs, Government of India http://tribal.nic.in/index.html 3 samantha v. State of A.P.(1997)8 SSC 191 and is a potent weapon of economic empowerment in a social democracy.

Though the judge was not speaking of indigenous people as such, does not his statement regarding the symbiotic relationship of the tribal people with their land echo the affirmation at international level ? I think it does. The judge did not stop at this. He spoke of the constitutional scheme: "The Fifth and the Sixth Schedules constitute an integral scheme of the constitution with direction, philosophy and anxiety to protect the social and economic democracy with liberty, equality and fraternity and dignity of their person in our political Bharat." These observations reflect the philosophy of the Indian republic and the obligation of the government to respect and protect their rights of these people. The court again emphasized : "Since the executive is enjoined to protect social, economic and educational interests of the tribals and when the state leases out the lands in the scheduled areas to the non-tribals for exploitation of mineral resources, it transmits the correlative constitutional duties and obligation to those who undertake exploitation of natural resources, that they should also improve social, economic and educational development of tribals." It seems the Indian experiment is another model, which can be tried in other parts of the world to protect the rights of indigenous peoples.

The international law concerning indigenous people could be meaningfully addressed in terms of seeking solutions only when the existing legal framework of countries like India is taken up for study. With these few words on the idea of indigenous peoples and on the constitutional framework in India for achieving the welfare of tribal peoples, I would like to conclude my address.

TRAINING PROGRAMME TO SPORTSMEN IN HYDERABAD (TELANGANA)

On 8-9 July, 2017, Training Programme for2 sportsmen of Telangana was held in the Rastriya Vidya Kendram, Annojiguda, near Hyderabad. 40 Sportsmen from different districts participated in the programme. In this camp "Modern Kho-Kho" was specially practised. All the sportsmen are tribal which is noteworthy. These sportsmen belong to Koya, Banjara, Gond and Mannewar tribals.

Naturally, Vanavasis are strong and healthy. This aspect of their physical wellbeing naturally endows them for these games. No wonder, they shine beautifully well in skill of these games. But the unfortunate part is, the lack of sporting facilities for these talented sportspersons prevent them from realizing their true sporting potential. It is there for the sports training such as this one are conducted to bring out their talent in sports in the vanvasi areas. The Vanavasi Kalyan Parishad endeavours to bring the vanavasies together and to create unity among them through this kind of sports centers.

Sri Vidyadhar (Jadcharla), Vanavasi Kalyan Ashram Kshetra Khelkud Pramukh has practically conducted one hour training programme as per the schedule. He advised all sportsmen to follow the principle of punctuality.

All India Sah-Khelkud Pramukh of Vanavasi Kalyan Ashram, Sri Prabod Daa said that all the sportsmen should participate actively. Huge talent is hidden in the sports men of villages. We have to extract it out. Hence we have to create confidence in the sportsmen. He further said, sports are crucial to develop discipline and love for the country.

By Tirumal, Bhagyanagar

Vanavasi Kalyan Ashram, all India Sah-Khelkud Pramukh Sri Prabod Daa has said that all the sportsmen should participate actively.

पानी में हल्दी मिलाकर पीने से होते है यह 7 फायदे

1. गुनगुना हल्दी वाला पानी पीने से दिमाग तेज होता है। सुबह के समय हल्दी का गुनगुना पानी पीने से दिमाग तेज और उर्जावान बनता है।
2. रोज यदि आप हल्दी का पानी पीते हैं तो इससे खून में होने वाली गंदगी साफ होती है और खून जमता भी नहीं है। यह खून साफ करता है और दिल को बीमारियों से भी बचाता है।
3. लीवर की समस्या से परेशान लोगों के लिए हल्दी का पानी किसी औषधि से कम नही है। हल्दी के पानी में टॉक्सिस लीवर के सेल्स को फिर से ठीक करता है। हल्दी और पानी के मिले हुए गुण लीवर को संक्रमण से भी बचाते हैं।
4. हार्ट की समस्या से परेशान लोगों को हल्दी वाला पानी पीना चाहिए। हल्दी खून को गाढ़ा होने से बचाती है; जिससे हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है.
5. जब हल्दी के पानी में शहद और नींबू मिलाया जाता है तब यह शरीर के अंदर जमे हुए विषैले पदार्थो को निकाल देता है जिसके पीने से शरीर पर बढ़ती हुई उम्र का असर नहीं पड़ता है। हल्दी में फ्री रेडिकल्स होते हैं जो सेहत और सौंदर्य को बढ़ाते हैं।
6. शरीर में किसी भी तरह की सूजन हो और वह किसी दवाई से ना ठीक हो रही हो तो आप हल्दी वाले पानी का सेवन करें। हल्दी में करक्यूमिन तत्व होता है जो सूजन और जोड़ों में होने वाले असहाय दर्द को ठीक कर देता है। सूजन की अचूक दवा है हल्दी का पानी।
7. कैंसर खत्म करती है हल्दी। हल्दी कैंसर से लड़ती है और उसे बढ़ने से भी रोक देती है। हल्दी एंटी कैंसर युक्त होती है। यदि आप सप्ताह में तीन दिन हल्दी वाला पानी पीएंगे तो आप भविष्य में कैंसर से हमेशा बचे रहेंगें।

रक्तदाता फेरेंगा नारजारी और बिपुल चकमा का अभिनन्दन

कई लोगों का मानना है कि वनवासी समाज में रक्तदान के लिए अग्रसर होने का प्रमाण कम है। कुछ मात्रा में यह सच भी होगा परन्तु दिल्ली छात्रावास के अपने दो छात्रों ने प्रदेश सहमंत्री आनंद भारद्वाज जी के मार्गदर्शन पर दिनांक 18 जुलाई को रक्तदान किया। फेरेंगा नारजारी ने 350 ग्राम और बिपुल चकमा ने 450 ग्राम ऐसा रक्तदान कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। ये दोनों युवकों की आयु 18 वर्ष की है।

रक्तदान करने से पूर्व कुछ मात्रा में मन में भय अवश्य था परन्तु अब अनुभव के आधार पर पुन: रक्तदान का संकल्प भी उन्होंने व्यक्त किया।

RNI Regd. No. 5384/91
Publication : 8th August 2017, Page 40

Postal Regd. No. : DH/349/2016, Licensed to Post at
New Subzi Mandi PO, Delhi-33, on 9th & 10th August, 2017

राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद्

मेवाड़ दर्शन यात्रा

अरावली की उपत्यकाओं में बसा मेवाड़ अपने शौर्य, त्याग एवं शक्ति- भक्ति की नूतन पुरातन घटनाओं से विश्व के लोगों को आकर्षित करता रहा है। तथा वागड़ क्षेत्र अपने बीहड़ जंगलों में भरपूर वन सम्पदा एवं टापरों में बसे वन वासियों की वीर गाथाओं की अनुगूंज एवं सरलतापूर्ण जीवन से भारत में प्रसिद्ध है।

- श्री नाथजी, एकलिंगजी, सांवरियाजी
- चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, उदयपुर
- माउण्ट आबू
- आश्रम, विद्यालय, संस्कार केन्द्र, एनीकट-कृषि विकास, आरोग्य रक्षा केन्द्र, सत्संग केन्द्र, लोक कला, वनवासी जीवन दर्शन एवं परिवार मिलन

30 अगस्त से 03 सितम्बर, 2017 तक

- यात्रा प्रारंभ 30 अगस्त, 2017 को प्रातः 11 बजे, दादूदयाल आश्रम, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, मानपुर, आबूरोड़। जिनको उदयपुर पहुंचना सुविधाजनक है वे 29 अगस्त, 2017 रात्रि तक उदयपुर प्रदेश कार्यालय पहुंच सकेंगे।
- यात्रा समापन 03 सितम्बर, 2017 सायं उदयपुर।
- यात्रा का शुल्क 2500/– प्रति व्यक्ति तथा 5 से 10 वर्ष तक के बालक/बालिका का 1500/– रहेगा।
- पहाड़ियों में उतरते–चढ़ते समय प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 किमी. पैदल चलना होगा। अतः अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही यात्रा में पधारें।
- इस पत्र के साथ विवरण पत्रिका संलग्न की जा रही है जो भरकर ई–मेल/डाक द्वारा अवश्य प्रेषित करें।
- आपके आने की सूचना 20 अगस्त, 2017 तक अवश्य भिजायें।

सम्पर्क सूत्र :
गोपाललालजी कुमावत – 09460488782, सोहनलालजी शर्मा – 09413641070
राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, प्रताप कॉलोनी, सेक्टर – 13, उदयपुर – 313001
(फोन 0294-2484456, 2484316, 9828448879, 9828348033)

(इस पावती पर्ची को काटकर डाक द्वारा प्रेषित कर कार्यालय को सूचित अवश्य करें)

यात्रा पर आने वाले मुखिया का नाम.. मोबाइल नम्बर....................

पता..

ट्रेन/बस से आबूरोड पहुंचने का विवरण (नाम, समय आदि)..

यात्रा में आने वालों की कुल संख्या – [ ] पुरुष– [ ] स्त्री– [ ] बालक– [ ]

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम

कार्यवृत्त 2016-17

जनजाति नीति दृष्टिपत्र - जनजाति नीति दृष्टिपत्र मुख्य रुपसे शासन एवं प्रशासन से सम्बन्धित विषय, राज्यपाल की भूमिका तथा सार्वजनिक संस्थाओं के उपक्रम इन विषयों पर ध्यान आकर्षित करता है। यह दृष्टिपत्र पंचायत कानून (PESA), वन अधिकार कानून , भूमि अधिग्रहण कानून, कृषि,

रा.स्व.संघ के सरकार्यवाह माननीय भय्याजी जोशी मार्गदर्शन करते हुए

जल, खनिज एवं नैसर्गिक संसाधन, लघु वनोपज तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विकास के बारे में विस्तृत जानकारी देता है।

21 मार्च को दिल्ली के कॉन्स्टीट्युशन क्लब में जनजाति नीति दृष्टिपत्र का लोकार्पण संघ के सरकार्यवाह मा. भय्याजी जोशी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. जगदेवराम जी उरांव सहित विभिन्न केन्द्रीय मंत्री उपस्थित थे। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल उराँव जी ने कल्याण आश्रम के इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह दृष्टिपत्र भारत सरकार को भी मार्गदर्शन करेगा।

इसी प्रकार नीति दृष्टि पत्र के विमोचन कार्यक्रम विभिन्न राज्यों के मा. राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियो की उपस्थिति में सम्पन्न हुए।

सिंहस्थ कुम्भ में वनवासियों की सहभागिता

- पूर्व तैयारी - मध्यभारत प्रांत में रूद्राक्ष के शिवलिंग की 11 यात्राओं का आयोजन किया गया।
- 1120 वनवासी ग्रामों में जनजागरण।
- वनवासी समाज का पूर्ण मनोयोग के साथ 1000 क्विंटल चावल संकलन में सहयोग।
- सभी यात्राओं की 17 अप्रैल को उज्जैन में पेशवाई (शोभायात्रा) हुई।
- केरल से हिमाचल और गुजरात से अरुणाचल तक सारे देश के जनजाति बंधु भगिनी उत्साह के साथ कुंभ में शामिल हो रहे

सिंहस्थ कुम्भ में सहभागी वनवासी

थे। पूरे महिने में लगभग 60 हजार से अधिक वनवासी कुंभ में शामिल हुए।

- सबका भोजन शबरी भोजनालय में तो रात्री विश्राम बड़े पंडालों में।
- इस अवसर पर प्रदर्शनी 'आदिबिम्ब ' के द्वारा जनजाति जीवन, परंपरा एवं महापुरुषों के बारे में प्रस्तुतिकरण ।
- प्रतिदिन प्रात:काल क्षिप्रा नदी में जनजाति बंधु भगिनियों का पवित्र स्नान।
- प्रतिदिन की सांस्कृतिक संध्या जिसमें अलग-अलग प्रान्तों के 125 वनवासी नृत्य टोली के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सास्कृतिक नृत्यों की प्रस्तुतियाँ दी।

-12 मई 16 के दिन 'चरैवेति चरैवेति' के प्रांगण में परम पूजनीय सरसंघचालक माननीय डा. मोहन जी भागवत, पूज्य संतश्रेष्ठ सत्यमित्रानंद गिरी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान,

कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. जगदेवराम उरांव की उपस्थिति में जनजाति जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम मे लगभग 6500 जनजाति जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

आरोग्य

वनवासी कल्याण आश्रम धर्मार्थ चिकित्सालय जशपुर के नवनिर्मित शल्य कक्ष (ऑपरेशन थिएटर) तथा वैद्य सम्मेलन का उद्घाटन पूज्य संत अनिल जी जोशी (हैदराबाद), केन्द्रीय मंत्री माननीय विष्णु देव साय जी, जशपुर के अध्यक्ष माननीय श्रीमन्त राजा रणविजय सिंह जूदेव जी की गरिमामयी उपस्थिति एवं माननीय जगदेव राम उरांव जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर आगरा, नागपुर, रायपुर से डॉक्टर्स उपस्थित थे। इन सभी लोगों के सहयोग से 28, 29 जनवरी 2017 को 40 ऑपरेशन किए गए।

झारखण्ड के बिरसा नेत्रालय लोहरदगा में इस वर्ष 3197 रुग्णों की चिकित्सा की गई। 1189 रुग्णों के मोतियाबिन्द के आपरेशन और कुल 1564 डाक्टरों के सहयोग से 1227 मेडिकल कैम्प

किए गए। इस समय 4151 ग्राम आरोग्य रक्षक कार्यरत है। इस वर्ष लगभग 12 लाख से अधिक रुग्णों की चिकित्सा की गई।

बिहार राहत कार्य

बिहार के किशनगंज जिला के कोचाधामन, बहादूरगंज, दीघलबैंक एवं पढिया प्रखण्डों के 795 परिवार जो महानंदा नदी के किनारे बसे थे वह बाढ़ से बूरी तरह से प्रभावित हो गए। उन सभी परिवारों को किशनगंज छात्रावास परिसर में बुलाकर राहत सामग्री का वितरण 14 अगस्त के दिन हर परिवार को किया गया।

9 अगस्त जागरण - इस दिवस को विश्व मूल निवासी दिवस मनाने की घोषणा यूनो ने की थी। इस हेतु भारत में भी यह कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर विभिन्न संगठनों ने आयोजित किए थे। लेकिन भारत में इसका सापेक्ष औचित्य के बारे में भूमिका कल्याण आश्रम के प्रयासों से समाज में पहुँचाई गई। इस हेतु सेमिनार, चर्चाएँ एवं गोष्ठियों का आयोजन किया गया।

प्रस्ताव

राजस्थान के सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा में 22 सितम्बर को अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्न 4 प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित किये गये।

1. जनजाति समाज की परम्परागत आस्था एवं देवस्थानों का संरक्षण और उनकी बोली-भाषा का विकास हो।
2. धर्मान्तरण पर राष्ट्रव्यापी रोक लगाई जाय एवं अब तक हुए धर्मान्तरणों के दुष्परिणामों का अध्ययन करने हेतु एक केन्द्रीय जांच आयोग गठित किया जाय।
3. जनजातियों के तीव्र विकास के लिए सभी प्रावधानों नीतियों और कार्यक्रमों को सक्रियतापूर्वक लागू किया जाय। नीतियाँ बहुत है परन्तु क्रियान्वयन निराशाजनक है।
4. जनजातियों के सर्वांगीण तथा शीघ्र विकास हेतु राष्ट्रीय जनजाति नीति तत्काल पारित हो।

दृष्टिक्षेप

संगठनात्मक जानकारी	संख्या
कुल वनवासी जिले	432
कार्ययुक्त वनवासी जिले	325
जिला समिति	304
कुल वनवासी प्रखण्ड	2254
कार्ययुक्त वनवासी प्रखण्ड	1214
नगर समिति	414
नगर महिला समिति	131
ग्राम समिति	13403
ग्राम महिला समिति	1665
पूर्ण कालिक पुरुष	733
पूर्ण कालिक महिला	173
अंश कालिक पुरुष	555
अंश कालिक महिला	277

प्रकल्प जानकारी	संख्या
छात्रावास	226
शिक्षा प्रकल्प	4843
स्वास्थ्य सेवा प्रकल्प	224
ग्राम आरोग्य रक्षक	4151
ग्राम विकास - कृषि विकास	69
कौशल विकास केन्द्र	70
स्वयं सहायता समूह	2718
श्रध्दाजागरण केन्द्र	6171
खेलकूद केन्द्र	2400
ग्राम विकास प्रकल्प	82
अन्य	16
कुल प्रकल्प	20970
प्रकल्प स्थान	14337

मेडिकल कैम्प 1472 **संकुल ग्रामोदय 32** **लोककला केन्द्र 642**

19 वीं राष्ट्रीय तीरन्दाजी प्रतियोगिता

मुम्बई के RCF (Rashtriya Chemicals & Fertilizers) के मैदान में 29 दिसम्बर से 1 जनवरी 17 को सम्पन्न हुई। प्रतियोगिता में 186 बालक और 83 बालिकाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन केन्दीय मंत्री श्री विजयजी गोयल की उपस्थिति में हुआ। पुरस्कार वितरण श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी ने किया।

सरहूल उत्सव

8 अप्रैल' 16 को जशपुर में सरहूल पर्व मनाया गया। सरहूल में धरती माता, महादेव, पार्वती और साल वृक्ष की पूजा की जाती है। रा. स्व. संघ के सरकार्यवाह मा. भय्या जी जोशी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर लगभग 35 हजार वनवासी बंधु भगिनी बड़े उत्साह के साथ अपने पारंपारिक परिधानों से सजधज कर उपस्थित रहे। इस अवसर पर मा. जगदेवराम जी के साथ राजा रणविजय सिंह जूदेव जी, श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, छ. ग. के जनजाति कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप, श्री महेश गागडा, सांसद श्री नंदकुमार साय और अनेक प्रतिष्ठित गणमान्य लोग उपस्थित थे।

छात्रावास

विदर्भ प्रान्त के अहेरी एवं आकोट छात्रावास के पूर्व छात्र गुरुदास कुंभ्रे और किशोर सोनकर को महाराष्ट्र सरकार ने आदर्श पटवारी पुरस्कार घोषित किया।

खनन सेमिनार

18, 19 दिसम्बर' 16 को रायपुर में खनन नीति पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लाभाण्डी में किया गया था। जिसमें देश के 11 प्रांतो से 53 विशेषज्ञ उपस्थित हुए। सेमिनार में जिला खनन न्यास (D.M.F) एवं खदान के पुनर्भरण विषय पर चर्चा की गई।

सेमिनार-दोहरे लाभ

व. क. आश्रम और अ. भा. अधिवक्ता परिषद के संयुक्त प्रयास से अल्पसंख्यकों को दोहरे लाभ विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में विभिन्न जनजाति प्रमुख, अधिवक्ताओं ने भाग लिया। सेमिनार को वरिष्ठ अधिवक्ता नारगुंडा, भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जुएल उरांव जी, कैलाश जी विजयवर्गीय, संघ के सह सरकार्यवाह मा. सुरेश जी सोनी, क. आ. के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. जगदेवराम जी उराँव एवं संयुक्त महामंत्री श्री विष्णुकान्त जी ने संबोधित किया। विचार गोष्ठी में कुल 82 प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम
'कल्याण आश्रम', जशपुर नगर, छत्तीसगढ़

प्रशासनिक कार्यालय
35, चंचलस्मृति, ग.द. आम्बेकर मार्ग, वडाला, मुम्बई-31, महाराष्ट्र
E-mail.: kalyanashram2010@gmail.com

वनवासी कल्याण केन्द्र का मुख पत्र

वर्ष : 16 ••• अप्रैल – मई – जून – 2017 ••• अंक : 36

संस्कृति एवं परंपरा की रक्षा के लिए आगे आयें – डॉ. दिनेश उरांव, अध्यक्ष विधानसभा, झारखण्ड

अन्तर्राष्ट्रीय उराँव (कुड़ुख) संस्कृति संघ का सेमिनार दिनांक 1,2 जून 2017 को आरोग्य भवन-1, बरियातु रोड, रांची में अन्तर्राष्ट्रीय उराँव (कुड़ुख) संस्कृति संघ सेमिनार सह रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में नेपाल, बंगलादेश, त्रिपुरा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, जशपुर, छत्तीसगढ़ से 146 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिसमें 24 महिलाएँ प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मा. जगदेवराम उराँव (राष्ट्रीय अध्यक्ष, अ.भा. वनवासी कल्याण आश्रम) ने पूरे समय तक रहकर प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन दिया। सेमिनार में रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा धर्म संस्कृति, पर्व-त्योहार, जन्म से लेकर मरण तक के संस्कार, विविध पूजा पद्धति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। धर्मांतरण को रोकने एवं धर्मांतरितों को वापसी करने की भी चर्चा की गई। देश-विदेश में जनजातियों के धर्म-संस्कृति-परम्परा को तोड़ने का जो कुचक्र विदेशी षड्यंत्रों द्वारा चल रहा है, इसके बारे में भी प्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्र की जानकारियां दी।

इस अवसर पर झारखण्ड विधानसभा अध्यक्ष डॉ. दिनेश उरांव ने कहा कि संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना होगा। कई संस्थाएं और लोग है, जो कुड़ुख भाषा और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। मुख्य वक्ता वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. जगदेवराम उरांव जी ने कहा कि सभी जातियों की अपनी पहचान है। कुड़ुख समाज की पहचान तभी बचेगा जब उसका अस्तित्व और अस्मिता कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज को मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में नहीं बल्कि नदी, पहाड़, जंगलों में अपने ईश्वर को देखता है। यह समाज एनिमिस्ट है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज को अपनी पहचान बनाने के लिए खुद आगे आना होगा।

विशिष्ट अतिथि केन्द्रीय राज्य मंत्री माननीय सुदर्शन भगत जी ने कहा कि जनजाति समाज का अस्तित्व बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा तभी हमारी संस्कृति बचेगी।

राँची के मेयर श्रीमती आशा लकड़ा ने कहा कि हमलोग अपनी भाषा, संस्कृति को कैसे बचायें इस पर विचार करना होगा। जनजातीय समाज की कई चीजें लुप्त हो रही है।

हमें अपनी भाषा को बचाना जरूरी है। साथ ही जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार को जानना और उनका संरक्षण करना होगा। गुमला के विधायक शिवशंकर उरांव जी ने कहा कि कुड़ुख समाज को अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ी चीजों का दस्तावेजी करण करना होगा। आज विश्व के लोग आदिवासी जीवनशैली से सीखने की कोशिश कर रहे, जिसमें प्रकृति के साथ समन्वय बनाने की बात होती थी। शिक्षाविद् डॉ. दिवाकर मिंज जी ने कहा कि शुरू में जब इस्ट इंडिया कंपनी झारखण्ड के इलाके में आयी थी, तो पादरियों को धर्म प्रचार की इजाजत नही थी। इस इलाके मे कंपनी को पैर जमाना था। इसलिए उसने बाद में ईसाई धर्म प्रचारकों को यहां आने का मौका दिया। मिशनरियों ने झारखण्ड के इतिहास को अपने नजरिये से लिखा। इससे आज भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। श्री रिझु कच्छप, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती आरती कुजुर, समीर उरांव सहित अन्य ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मा. जगदेवराम द्वारा लिखित 'जनी शिकार' नाम की लघु पुस्तिका का भी विमोचन हुआ।

इस अवसर पर मुख्य रूप से श्री महरंग उरांव, श्री संदीप उरांव, श्री भीखा उरांव, श्री कैलाश उरांव, श्री जुगेश्वर उरांव, श्री जगेश्वर राम भगत, डॉ. दिवाकर मिंज, डॉ. रविन्द्र भगत, श्री कृष्णकांत टोप्पो, श्री प्रदीप लकड़ा, श्री करमा तिग्गा मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय उरांव संस्कृति सुरक्षा मंच का गठन किया गया। जो इस प्रकार है :-

अध्यक्ष-जुगेश्वर उरांव, असम, उपाध्यक्ष-जगेश्वर राम भगत, छत्तीसगढ़, महामंत्री-संदीप उरांव, झारखण्ड, कोषाध्यक्ष-भीखा उरांव, झारखण्ड, कार्यकारणी सदस्य-करण साय भगत, छत्तीसगढ़, कैलाश उरांव, झारखण्ड, कृष्णकांत टोप्पो, झारखण्ड, चैतु उरांव, झारखण्ड, गोविन्द कुजूर, बंगाल, संतोष उरांव, नेपाल, अभिषक उरांव, त्रिपुरा।

प्रकृति को ईश्वर के रूप में पुजा करना चाहिए-मा. सुदर्शन भगत, केन्द्रीय राज्यमंत्री

दिनांक 02.04.17 को आरोग्य भवन-1 में वनवासी कल्याण केन्द्र द्वारा राँची में सरहुल मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केन्द्रीय राज्यमंत्री माननीय सुदर्शन भगत जी ने कहा कि वनवासियों का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध है। प्रकृति को ईश्वर के रूप में पूजा करते है। प्रकृति की रक्षा वनवासी समाज ने किया है, कर रहे है। सरहुल की झांकी पर्यावरण को बचाने का सकारात्मक संकेत देती है। विकास के क्रम में पेड़ो की अंधाधुंध कटाई के कारण राँची का पारा काफी तेजी से बढ़ रहा है।

राँची के महापौर श्रीमती आशा लकड़ा ने कहा कि बसंत के आगमन से ही प्रकृति में एक उमंग आने लगता है। सरहुल पूजा एक प्रकृति एवं वैज्ञानिक पूजा भी है। सरहुल शांति का प्रतीक है।

झारखण्ड खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष श्री संजय सेठ जी ने कहा कि 30 मार्च को सरहुल में लाखों का जुलुस काफी प्रेरणादायक रहा है। सभी समाज के लोग इसमें भाग लिए। सरहुल प्रकृति का पर्व है। जनजाति समाज पेड़-पौधों की पूजा करते है और सेवा भी करते है। पहले पानी नही बिकता था आज बिक रहा है। हमें सचेत रहना पड़ेगा नही तो वो दिन दूर नहीं जब हमें ऑक्सीजन गैस का सेलेन्डर लाद कर चलना पड़ेगा। हमें नदी-नाला, पोखर, पेड़-पौधे, वन-जंगल को बचाना पड़ेगा। राँची आज बदल गया है राँची

पहले ग्रीष्म की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। 1970 के आस-पास 4-5 हजार लोग जुलुस में रहते थे। आज 4-5 लाख रहते है। हमें प्रकृति का संरक्षण करना है नहीं तो अगली पीढ़ी माफ नही करेगा। हम एसी-फ्रीज को अपना लिया है। पेड़-पौधो को अपना भाई-बहन मानकर सेवा करनी चाहिए। इस अवसर पर सांसद श्री रामटहल चौधरी ने कहा कि सरहुल पूर्वजों को देन है। हर गाँव में पूजा की जाती है। पाहन बताता है कि इस वर्ष कितना वर्षा होगा। यह पूजा जीवन जीने का आधार है। अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। इससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा।

इस सरहुल मिलन समारोह में श्री जेठा नाग, सज्जन सर्राफ, रिझु कच्छप, प्रणय दत्त, हीरेन्द्र सिन्हा, सत्येन्द्र सिंह, संदीप उराँव, तुलसी प्रसाद गुप्ता, संदीप उरांव, सुनिल कुमार सिंह, रणधीर कुमार सिन्हा, तुलसी महतो, देवकी मुण्डा, नरेश मुण्डा के अलावा खिजरी विधायक रामकुमार पाहन, कांके विधायक जीतूचरण राम, माण्डर विधायक श्रीमती गंगोत्री कुजूर, जगलाल पाहन, मेघा उराँव, बहला पाहन आदि उपस्थित थे।

निःशुल्क कोचिंग सेन्टर 'निर्माण'

वनवासी कल्याण केन्द्र द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग सेन्टर 'निर्माण' में झारखण्ड लोक सेवा आयोग समेत अन्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कराने की व्यवस्था की गई है। इस कोचिंग के लिए 50 सीटे है, जिसमें 35 सीट अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 15 सीट सामान्य व ओबीसी के लिए है। इसके लिए वनवासी कल्याण केन्द्र की ओर से कोचिंग की व्यवस्था की गई है। कोचिंग सेन्टर में नामांकन के लिए दो घंटे का प्रवेश जांच परीक्षा रविवार को आरटीसी हाईस्कूल, बुटी मोड़ में सम्पन्न हुआ।

इस परीक्षा के लिए 94 स्टूडेंटस ने आवेदन दिये थे, जिसमें 93 स्टूडेंटस शामिल हुए। सभी सफल विद्यार्थियों को एक जुलाई से सत्र प्रारंभ होगा। इस अवसर पर आरटीसी हाईस्कूल के निदेशक रूद्रनारायण महतो, प्रणय दत्त, मोहन सिंह मुण्डा, रिझु कच्छप, ओम प्रकाश अग्रवाल, विकास चन्द्र शर्मा, अमित मिश्रा, विकास शर्मा, सुजीत वर्मा और आदी उरांव ने सहयोग किया।

रक्त दान शिविर, गिरीडीह

– कैलाश महतो

वनवासी कल्याण केन्द्र, गिरीडीह के तत्वावधान में दिनांक 11.04.2017 का सरिया प्रखण्ड के एस.आर. एस. एस. आर. उच्च विद्यालय में रक्त दान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री पवन कुमार मंडल एस.डी.एम., सरिया, बगोदर एवं दीपक कुमार शर्मा (S.D.P.O) बगोदर सरिया के श्री एच.एस. गुप्त (I.F.S) श्री सत्यजीत सिंह ने भारत माता एवं मर्यादापुरूषोत्तम श्रीराम के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में 16 व्यक्तियों द्वारा रक्त दान किया गया। सरिया प्रखण्ड के बिरहोर जनजाति के उत्थान के लिये किया गया। इस कार्यक्रम में सरिया प्रखण्ड के निवासियों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। इस अवसर पर प्रो. संतोष जी, राजकुमार जी, अत्यपत बाबु जी, रंजीत जी, श्री राजू मंडल, शशी महतो, मदन महतो, जिला संगठन मंत्री कैलाश महतो एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। सरिया के (B.D.O) ने रक्तदान केद महत्व के विषय में जानकारी दी, यह शिविर गिरिडीह के भारतीय रेड क्रॉस सोसाईटी द्वारा वल्ड बैंक के सहयोग से हुआ।

वन पूजन कार्यक्रम-गुमला जिला

– राघव राणा

संकुल ग्रामोदय केन्द्र ग्राम-सुगाकांटा, जिला-गुमला में दिनांक 17 अप्रैल 2017 को वन-पूजन का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम बाबू सिंहल जी (हरियाणा), प्रांत संगठन मंत्री श्री हरिन्द्र सिन्हा, सह संगठन मंत्री श्री कैलाश उराँव तथा प्रांत के ग्राम विकास प्रमुख श्री राघव राणा एवं गुमला जिला के सचिव श्री राम विनोद पाण्डे, रायडीह प्रखण्ड सचिव श्री संजय सिंह, जिला संगठन मंत्री श्री अंगनु उराँव, जिला प्रमुख श्री खेदू नायक और एकल विद्यालय सह प्रांत प्रमुख श्री कामेश्वर साहु का स्वागत स्थानीय लोककला मण्डली एवं महिला समूह द्वारा परम्परागत नृत्य-वादन तथा माला एवं तिलक लगाकर किया गया। इसके पश्चात वन-पूजन का कार्यक्रम ग्राम प्रधान श्री बिरजू नगेसिया तथा बिरजु सिंह द्वारा शाल वृक्ष के जड़ के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर तथा आरती दिखाकर एवं 101 वृक्ष को रक्षा सूत्र बांध कर पूजन कार्य सम्पन्न किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री राम बाबू सिंहल जी ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझे वन-पूजन कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि वन ही जीवन है। आज वन कटते जा रहे है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। जल का अभाव होने लगा है। मुझे खुशी हो रही है कि सुगाकांटा ग्रामवासी वनों के बीच में है और वनों को बचा के रखे है।

वनवासी कल्याण केन्द्र प्रत्येक वर्ष हजारों पेड़ लगाने का कार्य करता है। उन्होंने अन्त में कहा कि आज जितने पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे है, वे सुरक्षित रहना चाहिये। इस कार्यक्रम में लगभग 160 महिला, 70 पुरूष कुल 230 लोगों ने भाग लिया।

वस्त्र वितरण: इस अवसर पर हरियाणा से आये मुख्य अतिथि श्री राम बाबू सिंहल जी द्वारा 140 महिलाओं को वस्त्र के रूप में साड़ी भेंट किया गया।

स्वतंत्रता संग्राम के संथाली जनजाति के महान योद्धा सिद्धो-कान्हु

सिद्धो-कान्हु संताल परगना क्षेत्र के महान योद्धा एवं शेर थे। इनका जन्म साहेबगंज जिला के भोगनाडीह ग्राम में 1815ई. में हुआ था। सिद्धो से कान्हु 5 वर्ष छोटे थे। सिद्धो का कद 6 फीट लम्बा था, उनकी शारीरिक बनावट बचपन से ही शक्तिशाली और उसमें अपार संगठन शक्ति की क्षमता थी। इनके पिता का नाम चुनु मांझी (मुर्मू) था। सिद्धो-कान्हु, चाँद और भैरो ये चार भाई थे। इनके नेतृत्व को सभी वर्गों के लोग लोहा मानते थे। उन्होंने लोगों को आकर्षित करने के लिए आध्यात्मिक घटनाओं और विचारों का सहारा लिया।

चारों भाईयों ने अंग्रेजी शासन के अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार और उपेक्षा के विरूद्ध आन्दोलन चलाया, इन्ही सब शोषणों का प्रतिफल "संताल हुल" के रूप में प्रकट हुआ। संतालो को एकजुट करने के लिए सिद्धो-कान्हु ने परम्परागत तरीको को अपनाया। "दुविया बावा" की धार्मिक भावनाओ से उत्प्रेरित और कम्पनी शासन के विरूद्ध स्वदेशी शासन कायम करने को प्रोत्साहित थे। उन दोनों भाईयों ने घोषणा की थी कि "मारड.बुरू" और जोहार एरा" ने उन्हें दर्शन देकर 'अपना राज' कायम करने का आदेश दिया है। उन लोगों ने यह प्रचार किया कि कुल देवी-देवता से उन्हें आज्ञा मिली है कि अंग्रेजों को खदेड़ा जाय। सिद्धो ने सभी मांझियों से कहा कि साल वृक्ष में कान लगाकर सुने जिससे एक जुटता का संदेश सुनाई देगा। उस साल टहनी का संदेश गाँव-गाँव, घर-घर भेजा गया और यह सचमुच क्रांति का संदेश प्रमाणित हुआ।

30 जून 1855ई. को भोगनाडीह में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जिसमें 10 हजार मांझी लोग उपस्थित थे। इस दिन को "हुल दिवस" के रूप में जाना जाता है। सभा में घोषणा किया गया कि "अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो"। भोगनाडीह की सभा में सिद्धो को राजा, कान्हु को मंत्री, चाँद को प्रकाशक और भैरो को सेनापति चुना गया। उसी सभा में "अबुआ राज" की घोषणा की गई। इसी दिन स्वतंत्रता की चिनगारी फूट पड़ी थी।

भोगनाडीह के उस सभा के बाद बड़हैत के निकट पंचकठिया नामक गाँव में दूसरी सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में खुफियागिरि, कम्पनी सरकार के पक्ष में किए जाने के आरोप में एकत्रित भीड़ के लोगों द्वारा उस गाँव के चार-पाँच बंगाली महाजनों की हत्या कर डाली गई थी। उसके बाद से ही उस जन-क्रांति की ज्वाला आस-पास के विभिन्न क्षेत्रों में भभक उठी थी। उस जन-क्रांति के सैनिक लोग कम्पनी सरकार को अपने देश (दामिन-ई-कोह) से उखाड़ फेंकने की योजना लेकर आगे बढ़े। जहाँ-जहाँ भी गोरे लोगों की बस्तियाँ या नीलहे साहबों की कोठियाँ थी, वहाँ-वहाँ उन क्रांतिकारियों ने धावा बोला। मार-काट की। उनलोगों का एक नारा था-

"जुमीदार, महाजोन, पुलिस आर राज रेन आमला को गुजुकमा"

सिद्धो-कान्हु की नीति थी कि जन-क्रांति के सैनिकों की रसद के लिए अपना धन देने में कोई आना-कानी करेंगे तो वे देशद्रोही माने जायेंगे, उनका धन लूट लिया जाएगा और वैसे लोगों को हत्या कर दी जाएगी किन्तु जो लोग अपना धन सहर्ष दे देंगे उन्हें कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा।

वीरवर सिद्धो-कान्हु के क्रांतिकारी सैनिकों ने फुदकीपुर गाँव के नीलहे गोरे साहब की कोठी पर हमला करके वहाँ के गोरे साहब को मार डाला और साहेबगंज की ओर चल पड़े। भय से कुछ नीलहे गोरे नाव पर चढ़कर गंगा में हेल गये। भागलपुर के कलक्टर उस समय राजमहल में थे जिसने गोरे साथियों के साथ वहाँ के मुगलकालीन "संगी दालान" में घुसकर अपनी जान बचाई। पाकुड़ के अंग्रेज कर्मचारियों ने आनन-फानन में बचने के लिए 20 फूट घेरेवाला एक 30 फूट ऊँचा "मारटेली टावर" बना डाला था। क्रांतिकारियों ने पाकुड़ राज घरानों, महेशपुर राज घरानों पर हमला किया। राज घराने के लोग इधर-उधर भाग कर अपनी जान बचाई।

मेजर एफ.डब्लू.वारफ के नेतृत्व में 10 जुलाई 1855ई. को अंग्रेजी सेना की टुकड़ी आन्दोलन को दबाने के लिए

भेजी गई लेकिन सिद्धो के नेतृत्व ने उन्हें पराजित किया। उन्होंने अम्बर परगना के राजमहल पर हमला कर कब्जा कर लिया। परन्तु अंग्रेजों के जवाबी करवाई के क्रम में संताल क्रांतिकारी पराजित हुए और उनके सैकड़ो साथी मारे गए। चारो भाई भागने में सफल रहे।

जन-क्रांतियों को नियंत्रित करने के लिए भागलपुर में मार्शल लॉ लगाया गया और गिरफ्तारी के लिए कई पुरस्कारों की घोषणा की गई। कुछ दिन बाद बरलाईद की लड़ाई में चाँद और भैरो शहीद हो गए और सिद्धो-कान्हु भी साथियों की धोखा-धड़ी के कारण गिरफ्तार कर लिए गए और 26 जुलाई 1956 को उन्हे फाँसी दे दी गई। जन-क्रांति के याद में आज भी 30 जून को पूरे संताल क्षेत्र में हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है।

बाल-संगम एवं कम्बल वितरण

– चन्देश्वर मुण्डा

वनवासी कल्याण केन्द्र के तत्वावधान में सोमवार को एकल विद्यालय बाल संगम का आयोजन गोला के नावाडीह पंचायत योगिया बाबा मंदिर के मैदान में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष श्री श्याम सुन्दर चौधरी ने की। मुख्य वक्ता महिला कॉलेज के व्याख्याता डॉ. संजय सिंह तथा विशिष्ट अतिथि श्री नारायण प्रसाद जलान, महावीर बरेलिया, सरदार मनि सिंह, एकल विद्यालय क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रमुख वीरेन्द्र शर्मा तथा प्रांत जनजातीय हितरक्षा प्रमुख चन्देश्वर मुण्डा उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारम्भ भारत माता एवं मर्यादापुरूषोत्तम श्रीराम के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। एकल विद्यालय बाल संगम कार्यक्रम के मुख्य शिक्षक गोपाल हांसदा ने कार्यक्रम में सम्मिलित विद्यार्थियों ने योग प्रदर्शन, एकल गीत, सामूहिक गीत भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वनवासियों एवं ग्रामीणों ने खिचड़ी का भरपूर आनन्द उठाया।

वनवासी कल्याण केन्द्र, रामगढ़ समिति के उक्त सभी पदाधिकारियों द्वारा आदिवासी समाज के बुजुर्गो के बीच 54 कम्बल का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉ. संजय सिंह ने कहा कि वनवासी कल्याण केन्द्र प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित कर एकल विद्यालय के बच्चों के हौसलों को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही आदिवासी समाज के जरूरतमंद लोगों को ठंड से निजात दिलाने के लिए मकर संक्राति के अवसर पर कम्बल वितरण कर पुण्य की भागी बनते हैं। कम्बल वितरण में सहयोग करने वाले नारायण जालान, श्याम सुन्दर चौधरी, भानू अग्रवाल, पूर्व विधायक शंकर चौधरी, बनवारी अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में देवकी राम महली, जिला प्रचारक व्यापक जी, रंजीत जी, प्रयाग राम मुण्डा, संजय करमाली, बरन राम मांझी, पान किस्टो दास बेदिया, भुवनेश्वर बेदिया, बेबी कुमारी, सबिता कुमारी, भीम सिंह मुण्डा ने सक्रिय भुमिका निभाई।

सम्पन्न कार्यक्रम

जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच बैठक :- दिनांक 26 मार्च 2017 को वनवासी कल्याण केन्द्र के प्रांत मुख्यालय आरोग्य भवन-1, बरियातु रोड, रांची के सभागार में प्रांत स्तरीय जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को अ.भा. जनजाति हितरक्षा प्रमुख मा. गिरीश कुबेर, क्षेत्रीय जनजाति हितरक्षा प्रमुख श्री अजय कुमार सिंह, डॉ. राजकिशोर हांसदा (राष्ट्रीय सह संयोजक, जनजाति सुरक्षा मंच) का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पूरे प्रांत से 92 प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में धर्मांतरित व्यक्ति को दोहरा लाभ नही मिलना चाहिए, क्या धर्मांतरित व्यक्ति जनजातीय संस्कृति का पालन करते है, स्व. कार्तिक उरांव जी ने धर्मांतरित जनजाति के विरूद्ध संसद में आवाज उठायी थी, जन्म से मरण तक का जनजातीय संस्कार विधि एवं चर्च प्रायोजित धर्मांतरण के गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। सुरक्षा मंच की प्रांतीय समिति का गठन भी किया गया।

प्रांत स्तरीय कार्यालय प्रमुख प्रशिक्षण वर्ग :- दिनांक 15 अप्रैल संध्या से 17 अप्रैल संध्या 2017 तक औपचारिक विद्यालय के कार्यालय प्रमुखों का प्रशिक्षण वर्ग बिरसा शिशु/विद्या मंदिर, तपकरा में सम्पन्न हुआ। विद्यालय का लेखा-जोखा अध्ययतन एवं पारदर्शी हो इस दृष्टि से इस वर्ग को आयोजित किया गया था। इस वर्ग में 22 विद्यालयों से 24 आचार्य-आचार्या (कार्यालय प्रमुख) ने भाग लिया। इस वर्ग में श्री ब्रजमोहन मंडल, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री सुभाषचन्द्र दुबे, श्री जगमोहन बड़ाईक जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

प्रांतीय जिला टोली बैठक :- दिनांक 7,8 मई 2017 को वनवासी कल्याण केन्द्र के प्रांत मुख्यालय रांची में प्रांतीय जिला टोली की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को अ.भा. सह नगर कार्य प्रमुख मा. भगवान सहाय, क्षेत्रीय संगठन मंत्री मा. मणिराम पाल जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बैठक में जिला स्तर से ऊपर के सभी पूर्णकालिक, जिला समिति से 2-3 कार्यकर्ता वन्धु-भगिनी उपस्थित रहे। बैठक के केन्द्रीय योजनानुसार जिला सम्मेलनों की जानकारियां दी गई। आगामी सितम्बर, अक्टूबर में सभी जिलों में जिला सम्मेलन करने की योजना तय की गई।

एकल विद्यालय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग :- दिनांक 13-20 मई 2017 को दुमका संभाग के एकल विद्यालयों के आचार्यो का प्रशिक्षण वर्ग विद्यासागर में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर श्री वीरेन्द्र शर्मा, श्री नन्दा बड़ाईक, श्री कामेश्वर साहु ने एकल विद्यालयों को सुव्यवस्थित चलाने का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में 47 आचार्यो ने भाग लिया, जिसमें 14 महिला आचार्या उपस्थित रहे।

नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग :- दिनांक 15 मई संध्या से 21 मई संध्या 2017 तक औपचारिक विद्यालय के नवीन आचार्यो का प्रशिक्षण वर्ग सरस्वती विद्या मंदिर, नवडीहा में सम्पन्न हुआ। वर्ग का उद्घाटन मा. देवव्रत पाहन (प्रांत संघचालक), श्री ब्रजमोहन मंडल (अ.भा. सह शिक्षा प्रमुख) ने संयुक्त रूप से किया। सप्तवर्गीय प्रशिक्षण वर्ग में विभिन्न सत्रों में आचार्य विकास, वालक विकास, आदर्श आचार्य, विद्यालय का संस्कार युक्त वातावरण, गणित भाषा आदि विषयों पर विस्तार से जानकारियां आचार्यो को दी गई। वर्ग के समापन के अवसर पर औपचारिक विद्यालय के प्रांत सह मंत्री श्री दीनदयाल शर्मा का मार्गदर्शन आचार्यो को प्राप्त हुआ। इस वर्ग में 20 विद्यालयों के 44 (15 पुरुष एवं 29 महिला) आचार्यो ने भाग लिया।

प्रांत स्तरीय संच प्रमुख अभ्यास वर्ग :- दिनांक 22, 23 मई 2017 को प्रांत स्तरीय संच प्रमुखों का अभ्यास वर्ग, लोहरदगा में सम्पन्न हुआ। अभ्यास वर्ग में संच प्रमुखों को श्री वीरेन्द्र शर्मा, श्री नन्दा वड़ाईक, श्री कामेश्वर साहु जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

बिरसा नेत्रालय लोहरदगा :- मार्च से मई 2017 तक लोहरदगा बिरसा नेत्रालय में दो निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित की गई जिसमें 647 मरीजों की जाँच एवं 154 मरीजों का ऑपरेशन किया गया।

जनजाति शिक्षा निति पर विचार गोष्ठी :- अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में राँची में जनजातीय शिक्षा नीति पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मा. सोमयाजुलु जी, श्री सुहाष देशपांडे जी, श्री पंकज सिन्हा जी, श्री अतुल जोग जी, मा. दिनेश उरांव

जी (अध्यक्ष-झारखण्ड विधानसभा), मा. के. रामचन्द्रैया जी (अखिल भारतीय शिक्षा प्रमुख), डॉ. गिरिधारी राम गौंझु, श्रीमती नलिनी बेन मेहता (गुजरात), श्रीमती रमापोपली एवं अनेक प्राध्यापक, शिक्षाविद् एवं जनजाति क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में वर्षो से कार्य कर रहे महानुभावों ने भाग लिया।

सामान्य निःशुल्क चिकित्सा शिविर :- बिरसा सेवा सदन, लोहरदगा में 5 अमेरिकन डॉक्टरों के द्वारा सामान्य निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 64 मरीजों की जाँच कर दवा दी गई।

प्रांतीय कार्य योजना बैठक :- प्रांतीय कार्य योजना हेतु बैठक रांची प्रांत कार्यालय में हुई। जिसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय हित रक्षा प्रमुख श्री गिरीश कुबेर जी एवं टाईड संयोजक श्री संजय कुलकर्णी जी उपस्थित थे। इस बैठक में प्रांत के सभी जिला के संगठन मंत्री और समिति के सदस्यों के साथ मिलकर वर्ष भर की कार्य योजना तैयार की गई।

वनयात्रा :- फरवरी माह में आगरा से 16, बोकारो से 45 एवं दिल्ली से 10 वनयात्रियो ने रांची, लोहरदगा, गुमला एवं जशपुर के प्रकल्पों का भ्रमण किया।

प्रांतीय प्रधानाचार्य बैठक सह पत्रिका विमोचन :- गुमला जिला के सोहरसाहू सरस्वती शिशु/विद्या मंदिर, पालकोट में प्रांतीय प्रधानाचार्य बैठक सम्पन्न हुई। 62 स्थानों से 68 प्रधानाचार्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में बैठक का उद्देश्य, पत्रिका विमोचन एवं पत्रिका का महत्व, प्रधानाचार्य की भूमिका एवं उनके कार्य, लेखा-जोखा की व्यवस्था, अंकेक्षण, भुगतान की पद्धति व संचिका का रख-रखाव, आचार्य विद्यार्थी विकास हेतु कार्यशाला, साक्षरता अभियान, सेमिनार, कौशल विकास, स्थापना अनुमति, कार्यकर्त्ता कल्याण कोष

तथा सम्पन्न कार्यक्रम की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।

रोहतासगढ़ किला का 11वाँ तीर्थ मेला :- बिहार स्थित ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किला में अ. भा. वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वधान में 11वाँ तीर्थ मेला सम्पन्न हुआ। जिसमें झारखण्ड से 300 लोग उपस्थित हुए। इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल महामहिम रामानाथ कोविंद जी ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगदेव राम उरांव, क्षेत्र के सासंद श्री छेदी पासवान जी, श्री कृपा प्रसाद सिंह, क्षेत्र संघचालक श्री सिद्धीनाथ सिंह जी उपस्थित थे।

शिक्षक सम्मान :- दुमका कार्यालय में 10वी कक्षा के नि नि जनजाति बच्चों हेतु चलाये जा रहे निःशुल्क कोचिंग सेन्टर में अपना सेवा देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

हाईड्रोसिल और हर्निया ऑपरेशन :- जामताड़ा जिला के विद्यासागर केन्द्र में 15 हाईड्रोसिल और 2 हर्निया के निःशुल्क ऑपरेशन डॉ. देवानन्द प्रकाश, मधुपुर और डॉ. राजदेव द्वारा किया गया साथ ही मधुपुर नगर में 26 फरवरी को डॉ. देवानन्द प्रकाश द्वारा ही 22 हाईड्रोसिल निःशुल्क ऑपरेशन किया गया।

भोजन शेड का उद्घाटन :- प्रांतीय कार्यालय, राँची के सभागार के पीछे स्व. पवन कु. सराफ जी की स्मृति में उनकी धर्मपत्नि श्रीमती पार्वती देवी सराफ एवं उनके पुत्रों द्वारा निर्मित भोजन शेड का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में रांची की मेयर श्रीमती आशा लकड़ा विशेष रूप से उपस्थित थी।

SHG कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग राँची, लोहरदगा एवं दुमका : वनवासी कल्याण केन्द्र, झारखण्ड द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का प्रशिक्षण उपरोक्त स्थानों में किया गया जिसमें काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। इस समूह को ग्राम विकास प्रमुख राघव राणा जी, कैलाश उरांव, राजकिशोर हांसदा, लक्ष्मी भगत, मोहन सिंह मुण्डा, विजय कुमार चौधरी, नाबार्ड, डॉ. मनोज कुमार सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

विश्व पर्यावरण दिवस :- दिनांक 5 जून 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर राँची से 250 किलोमीटर दूर गढ़वा जिला के बरकोल गाँव में बैगा-पाहन-महतो के द्वारा पेड़-पौधों की पूजा कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पाहनों ने आह्वान किया- जंगल बचाएं, पौधे लगाएं और गाँवों को प्रदुषण से मुक्त करें। रात्रि में जनजातीय नृत्य-संगीत का पारम्परिक सांस्कृति कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर राँची से श्री संदीप उरांव, श्री भीखा उरांव, श्री प्रदीप लकड़ा सहित 23 गाँवों से 5026 महिला-पुरूष उपस्थित रहे। मंच का संचालन श्री रामजी उरांव और श्री कैलाश उरांव ने किया।

अखण्ड हरि कीर्तन :- दिनांक 10,11 जून 2017 को 24 घंटे का अखण्ड हरि कीर्तन, सुख-शांति और अच्छी पैदावार के लिए वनवासी कल्याण केन्द्र, लोहरदगा के सत्संग केन्द्र लवागाई (किस्को) में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर काफी संख्या में महिला-पुरूष भक्तगण भाग लिये।

वनों की कटाई से पर्यावरण पर बुरा असर - उपायुक्त, बोकारो

एक लाख पौधा लगाने का लक्ष्य : दिनांक 12 जून 2017 को वनवासी कल्याण केन्द्र, बोकारो (झारखण्ड) के तत्वाधान में आशा लता केन्द्र बोकारो में एक दिवसीय वृक्षारोपण जागरण कार्यशाला का कार्यक्रम सी.एस.आर. और बी.एस.एल के संयुक्त तात्वाधान में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन बोकारो के उपायुक्त राय महिमापत रे ने पौधा रोपण करके किया। उपायुक्त ने कहा कि वनों की कटाई से पर्यावरण पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। वृक्ष हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बनडाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित रखने में सहायक है। यह वन्य जीवों का आश्रय स्थली भी है। पौधा रोपण के माध्यम से धरती का श्रृंगार करना चाहिए। इस अवसर पर आशा लता केन्द्र के निदेशक बी.एस.जायसवाल ने आगंतुकों का स्वागत किया। दिव्यांग बच्चों ने आशा लता केन्द्र के नर्शरी में विभिन्न प्रकार के पौधे एवं डी.जी.एम. अंजनी कुमार सिन्हा के नेतृत्व में लगाए है। वनवासी कल्याण केन्द्र इस वर्ष 1 लाख पौधा लगाने का इस नर्शरी से लक्ष्य रखा है। इस कार्यशाला में अंजनी कुमार सिन्हा, प्रांत सह संगठन मंत्री सत्येन्द्र सिंह, बी.एस.एल. के ए.जी.एम., ए.के. सिन्हा, बोकारो के डी.एस.पी., प्रीत रंजन प्रसाद, प्रणव पंडा, डॉ. एस.एस.प्रसाद, मदन महतो आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में आर.एन.वर्णवाल, संजीव कुमार, पवन कुमार सहित काफी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी लोगों ने संकल्प लिया कि हम सभी मिलकर एक लाख पौधा लगाएंगे और उसकी रखवाली भी करेंगे।

हमारा ध्येय ऊँचा है। अतः तदनुरूप हमारा कार्यकर्त्ता भी होना चाहिए। हमारे कार्यकर्त्ता का व्यक्तित्व प्रभावी होगा, तो कार्य भी प्रभावी होगा।

स्वयंसेवी संस्थाओं की अपनी एक तात्विक भूमिका होती है इसके प्रकाश में उनका सारा काम चलता है। हम जानते है कि शरीर को टिकायु रखने का काम प्राणवायु करता है। उसके अभाव में शरीर टिकता नहीं।

संस्था के लिए उसकी तात्विक भूमिका प्राणवायु के समान होती है। अतः अपनी शुद्ध तात्विक भूमिका का त्याग कभी न हो, यह अति आवश्यक है।

-बालासाहब देशपांडे

राँची महानगर समिति द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा शिविर : सज्जन सर्राफ

1	233	25.12.2016	पिस्का	सिल्ली	राँची	465	स्व. विजय कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्री टिकमचन्द जी संजय कुमार छावड़ा (छावड़ा ट्रेडर्स) राँची
2	234	29.01.2017	बीसा	अनगड़ा	राँची	350	पूज्य पिताजी स्व. डेडराज बगड़िया एवं माताजी स्व. गित्री देवी बगड़िया की पुण्य स्मृति में श्री दिनेश बगड़िया जी, राँची
3	235	19.02.2017	हुट	अड़की	खूंटी	335	स्व. पुष्पा देवी जैन (धर्म पत्नी श्री मदन लालजी जैन) की पुण्य स्मृति में नेमीचन्द मदन लाल अपर बजार, राँची
4	236	05.03.2017	गौतमधारा	अनगड़ा	राँची	273	स्व. लक्खी प्रसाद सर्राफ जी एवं स्व.श्रीमती देवकी देवी की पुण्य स्मृति में श्री संजीव सर्राफ जी एवं सार्थक सर्राफ (एस.एम.बी.एग्रो प्रोडक्टस प्रा.लि.), रांची
5	237	26.03.2017	कौड़ी	पतरातु	रामगढ़	253	श्री अभय कुमार अजय कुमार छाबड़ा अपर बाजार, राँची
6	238	30.04.2017	डुमरगड़ी	कर्रा	खूंटी	227	मेसर्स के. पाण्डेय एण्ड कम्पनी द्वारा श्री मंजीत कुमार वर्मा (सी.ए.) रातु रोड, रांची।
6	239	21.05.2017	सोमाडीह	सोनाहातु	राँची	244	श्रीमती नेहा प्रसाद एवं श्री दीपकांत प्रसाद जी (इन्कॉम टैक्स, कमिशनर), मुम्बई
7	240	11.06.2017	हाहाप	नामकुम	राँची		स्व. नागेन्द्र प्रसाद सक्सेना जी की पुण्य स्मृति में डॉ. निलम सक्सेना, राँची

श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय स्वयं संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं अ.भा.वनवासी कल्याण आश्रम के वरिष्ठ पदाधिकारी मा. अवध विहारी श्रीवास्तव जी का निधन 12 मई 2017 को 93 वर्ष की आयु में हो गया। कुछ महिनों से काफी अस्वस्थ थे। झारखण्ड में क्षेत्रीय संगठन मंत्री के दायित्व पर रहते हुए ग्रामीण अंचलों का प्रकल्पों में जाना एवं कार्यकर्ताओं से मिलना प्रमुख उदेश्यों में था। कुछ वर्ष पहले इनका केन्द्र आरोग्य भवन क्र.-1, बरियातु स्थित राँची में था। प्रतिदिन संघस्थान जाया करते थे।

उनके असमायिक निधन से वनवासी कल्याण केन्द्र, झारखण्ड परिवार के लिए दु:खद समाचार है। वनवासी कल्याण केन्द्र, भगवान से प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

श्रेया ऑफसेट, 0651-2210836

ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਹਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ-147 002
ਫੋਨ:- 0175-304-6037
ਈਮੇਲ- sarbbharti@gmail.com
ਫੈਕਸ- 0175-2286682, 2283073

(Established under Punjab Act No.35 of 1961)
(Accredited 'A' grade University by NAAC)

Sarab Bharti Punjabi Conference
Guru Tegh Bahadur Hall
Punjabi University, Patiala-147 002
Ph: 0175-304-6037
E-mail: sarbbharti@gmail.com
Fax: 0175-2286682, 2283073

ਦੂਜੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
1-2 ਸਤੰਬਰ, 2009

ਨੰਬਰ.__________ ਮਿਤੀ: 10-8-09

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੀਤ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ,

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 1-2 ਸਤੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋਗੇ।

ਇਸ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ,

ਉਡੀਕਵਾਨ,

(ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ)
ਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ

(ਡਾ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ)
ਚੀਫ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ